कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60 अंक: 03 जनवरी 2014 मूल्य : ₹ 10

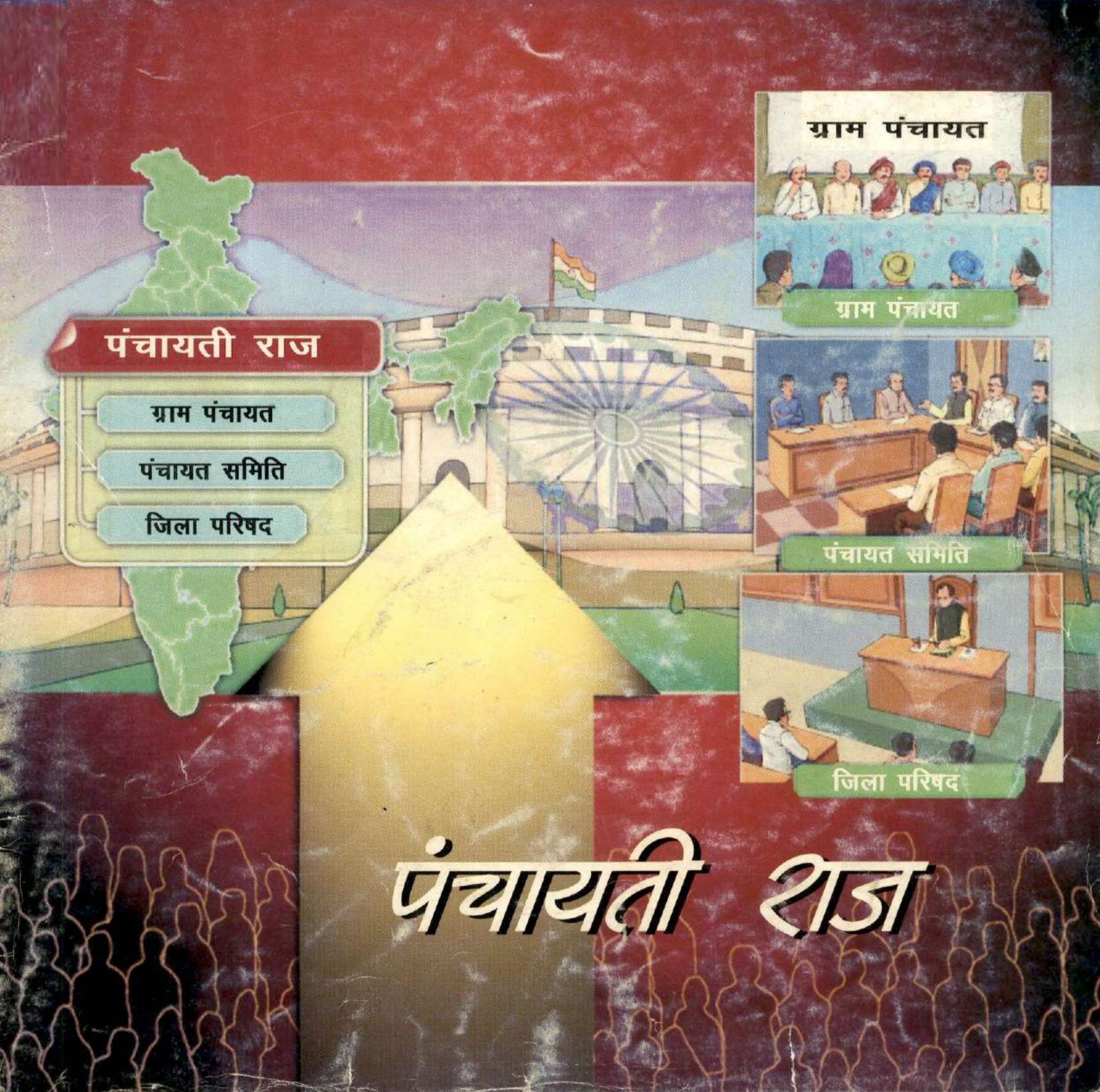

पंचायती राज

कृषि बना लाभकारी कारोबार

केरल के कोझीकोड जिले के कुराचुंडू के 65 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री जॉर्ज थॉमस पनाकावायल की जिंदगी बदल गई है। जॉर्ज थॉमस की कहानी उन लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगी जो यह कहते हैं कि कृषि अब लाभकारी कारोबार नहीं रह गया है। एक नए किसान से लेकर पुरस्कार विजेता दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उनकी सफलता भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से किए गए कार्य का जीवंत प्रमाण है।

परंपरागत काली मिर्च उत्पादक के रूप में जॉर्ज स्थानीय किस्मों की पैदावार कर रहे थे। इनकी बेलों से उत्पादन अच्छा नहीं होता और ये जल्दी मुरझा जाती थीं। किसी अन्य परंपरागत किसान की तरह उनका जीवन भी उतार–चढ़ाव से भरा हुआ था।

नई पारी की शुरुआत

सन् 2007 में कोझीकोड जिले के पेरावुन्नामुझी स्थित आईआईएसआर के कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम की खेती के बारे में परीक्षण कार्यक्रम ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कृषि में अच्छी भागीदारी की शुरुआत थी। के.वी.के की मदद और मार्गदर्शन में एक लाख रुपये के निवेश से उन्होंने मशरूम की खेती की इकाई शुरू की।

बाद में जॉर्ज पनाकावायल ने आईआईएसआर से पांच किलोग्राम प्रभा किस्म की अदरक और वारडा किस्म की हल्दी लेकर दोनों की खेती शुरू की। उन्होंने फसल प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीका अपनाया और के.वी.के. और आईआईएसआर के विशेषज्ञों की खेती के हर चरण में मदद ली, जिसका अच्छा लाभ हुआ। वर्ष 2010 में उन्होंने के.वी.के के भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से 1000 किलोग्राम हल्दी और 500 किलोग्राम अदरक अन्य किसानों को बेची। अगले वर्ष केवल 15 प्रतिशत जमीन में उन्होंने 500 किलोग्राम हल्दी और 400 किलोग्राम अदरक पैदा की।

वर्ष 2007 में काली मिर्च की अच्छी पैदावार देने वाली आईआईएसआर की श्रीकारा, शुभकारा, पंचमी और पूर्णिमा की 300 बेले लगाईं। रोपण के तीसरे वर्ष बेलों से अच्छी फसल मिलने लगी और उन्हें वर्ष में 200 किलोग्राम की पैदावार मिली, जिससे 75,000 रुपये का उन्हें शुद्ध लाभ हुआ। अब वह नारियल, सुपारी, जायफल, साबुदाना और अन्य कंद की फसलें भी उगा रहे हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा 2009 में संग्रहित 101 किसानों की सफलता की कहानी में उम्मीद के रूप में उनका उल्लेख किया गया। वह इसका सारा श्रेय आईआईएसआर की मदद को देते हैं।

जॉर्ज की सफलता की कहानी अकेली नहीं है। इसका श्रेय आईआईएसआर द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य को जाता है। देश में बहुत से किसानों ने विभिन्न किस्म के मसालों की पैदावार कर सफलता की कहानियां लिखी हैं।

देश में मसाला अनुसंधान की मामूली शुरुआत 1975 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मसालों के शहर कालीकट में केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के साथ हुई। 1975 में ही मसालों के अनुसंधान को उस समय बल मिला जब आईसीएआर ने अकेले और एकमात्र भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान कालीकट शहर से 11 किलोमीटर दूर चेवालूर में 14.3 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

आईआईएसआर का प्रयोगात्मक कृषि फार्म कालीकट से 51 किलोमीटर दूर पेरूवन्नाभुझी में है। अनुसंधान फार्म पट्टे पर 94.8 हेक्टेयर जमीन में है, जिसमें मसालों की विविध किस्मों के पौधारोपण और संरक्षण का कार्य होता है। आईआईएसआर देश में मसालों पर सबसे बड़े मसाला अनुसंधान नेटवर्क, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का मुख्यालय भी है। इस संस्थान में काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, लौंग, दालचीनी, जमैका की गोल मिर्च, बनिला और शिमला मिर्च की फसलें उगाई जाती हैं।

आईआईएसआर में मसालों का सबसे बड़ा सुरक्षित भंडार है, जिसमें 2575 किस्म की काली मिर्च, 435 किस्म की इलायची, 685 अदरक और 1040 हल्दी की किस्में है। इसके अलावा संस्थान में बनिला, शिमला मिर्च और अन्य पौध प्रजातियां जैसे दालचीनी, लौंग, जायफल के जीन का भंडारण है।

मसाला अनुसंधान में संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान उच्च उत्पादकता वाली मसाला की किस्मों का विकास है, जिन पर सूखे, कीटों और बीमारियों का असर नहीं होता। संस्थान ने मसालों के सतत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया है।

(पसूका से साभार)

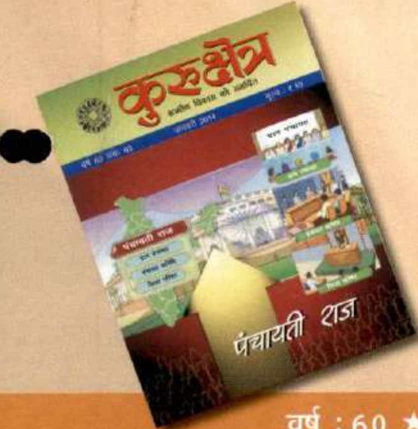

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 03 ★ पृष्ठ : 48 ★ पौष – माघ 1935★ जनवरी 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

पंचायती राज प्रणाली में जनसहभागिता — सोनी कुमारी — 4

ग्रामीण विकास और पंचायतें — डॉ. अनीता मोदी — 9

पंचायतों का स्वायत्तता स्तर: एक मूल्यांकन — डॉ. महीपाल — 13

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी — डॉ. हिमांशु शेखर — 17

पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी — डॉ. नीरज कुमार गौतम — 22

ग्रामसभा : ज़मीनी लोकतंत्र का सशक्त आधार — संतोष कुमार सिंह — 28

पंचायतों का बदलता स्वरूप — विकास कुमार सिन्हा — 33

ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता जरूरी — डॉ. सुधीश कुमार पटेल — 36

प्रबंधन के द्वारा टमाटर की प्राकृतिक खेती — डॉ. रेखा राय — 39

स्वास्थ्यवर्धक है पत्तागोभी — डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल — 42

अंधेरे में जलाई शिक्षा की ज्योति — अटल तिवारी — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

गांवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गांवों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।" इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए देश में 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के चलते पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारों के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की भी गारंटी प्राप्त हो गई जोकि बेहद जरूरी भी था। चूंकि वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वावलंबी होने पर ही पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास में सशक्त एवं प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है।

पंचायत में तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अच्छा परिणाम आया। इसे देखते हुए कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए जाने के बाद देश में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित कई प्रदेशों में महिला पंचायतों ने विकास की नई इबारत लिख दी है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को कारगर साबित करने में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान, झारखंड जैसे प्रदेशों में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड में महिलाएं पंचायतों में कई काम कर रही हैं। खुद स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कर आम लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं। कई गांवों में बड़े–बड़े कूप का निर्माण किए जाने के चलते किसान पलायन को विवश नहीं हैं। लोगों को खुद अपनी पंचायतों में काम मिल रहा है।

देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना को जोड़ने में भी पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कुछ ही वर्षों में देश के सभी गांवों में घर–घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लोगों का बीमा कराने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी पंचायतों पर केंद्रित योजनाएं बना रही है जिससे लोगों का विकास हो सके।

केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी–स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि के चलते गांवों की तस्वीर बदलने लगी हैं। इससे जहां लोगों में जागरुकता आई है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है।

पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की तरफ से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदमों से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। पंचायतों में भागीदारी होने से उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए अपना काम कर रही हैं तथा विकास में अपना सहयोग दे रही हैं।

ग्राम पंचायतें कम्प्यूटर और आधुनिक संचार तंत्र इंटरनेट की ऑन लाइन गवर्नेंस सुविधाओं से लैस हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीणों की दिनचर्या में घुलती जा रही है। आज देश की करीब 72.2 प्रतिशत आबादी लगभग 2.35 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामसभाओं से जुड़ी हुई है। ग्रामीण स्वशासन का इतना बड़ा तंत्र और किसी देश में नहीं है। ग्राम विकास के निर्णय के अधिकार ग्रामसभा को सौंप तो दिए गए हैं किंतु ये अधिकार मुख्यतः पंचायत के सरकारी तंत्र के हाथों में ही सिमट कर रह गए हैं। ग्राम पंचायत में नौकरशाही इतनी शक्तिशाली हो गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों के निर्देशों की अवहेलना भी आम हो गई है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार तथा सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा के निर्देशों का भली–भांति पालन होना चाहिए और ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचारमुक्त करने के लिए सभी ईमानदार सरपंचों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। तभी पंचायतों का सही मायने में विकास होगा और पंचायतों के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, इस उद्देश्य के प्रति सरकार भी कृत संकल्प है और पंचायतें भी।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

CL

सिविल सेवा अभ्यर्थी

सिविल सेवा सूचना पत्र संख्या 00-2014
जनवरी 2014

अपनी सफलता की संभावना को 6 गुना बढ़ायें*

CSAT की तैयारी CL के साथ

पूरे भारत में कुल 3,17,962 अभ्यर्थियों में से 14,989 ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा '13 उत्तीर्ण की है। यह सफलता दर लगभग 4.7% है, जबकि CL में यह दर 30.07% है - जो अप्रत्याशित रूप से देश की औसत सफलता दर से 6 गुना से भी अधिक है।

240 घंटों से भी अधिक का पाठ्यक्रम

124+ घंटों का कक्षा प्रशिक्षण	95+ घंटों की प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ और विश्लेषण	22+ मॉड्यूल टेस्ट और रीविज़न

CL के 742 छात्र प्रधान परीक्षा 2013 के लिए योग्य पाये गये।

*CL के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

CL | Civil Services Test Prep
www.careerlauncher.com/civils

संपर्क करें -

/CLRocks @careerlauncher

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 011 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने, फोन - 011 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 011 26566616/17
अहमदाबाद: 2656061, **इलाहाबाद:** (0)9956130010, **पटना:** 2678155, **लखनऊ:** 4108009, **इन्दौर:** 4244300,
भोपाल: 4093447, **जयपुर:** 4054623, **नागपुर:** 6464666, **वाराणसी:** 2222915, **गोरखपुर:** 2342251

KH-237/2013

पंचायती राज प्रणाली में जनसहभागिता

सोनी कुमारी

पंचायती राज प्रणाली में 'स्वशासन' का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि पंचायती राज संस्थाएं 'स्वशासन की इकाई' हैं। 73वें संशोधन 1992 ने इस प्रावधान को बाध्यकारी बना दिया है जो तृणमूल लोकतंत्र के क्रियाकलाप में आम जन की भागीदारी पर बल देता है। पंचायत स्तर पर ग्रामसभा को विकसित किया जा सकता है जिसकी बैठकों में आम जन की व्यापक भागीदारी हो। ग्रामसभा की महत्ता को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों को इस पर विचार करना होगा कि गांव के आम जन की भागीदारी ग्रामसभा के स्तर पर कैसे बढ़ाई जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता आए। पारदर्शिता से पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए पदाधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी बढ़ेगी।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाने से जनसहभागी लोकतंत्र के रूप में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त किया गया है।

ग्रामसभा के संबंध में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान

73वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल ग्रामसभा संबंधी प्रावधान बहुत ही संक्षिप्त हैं, फिर भी इसकी समीक्षा से तृणमूल–स्तर पर लोकतंत्र के महत्व को समझा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) में ग्रामसभा को ग्राम–स्तरीय पंचायत के क्षेत्र में आने वाले गांव की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी 'इकाई' के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां यह जानना जरूरी है कि ग्रामसभा के गठन की दृष्टि से 'ग्राम' का मतलब किसी अकेले गांव से नहीं है। यह गांवों का एक समूह भी हो सकता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 (छ) में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि 'ग्राम से तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस भाग के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्रामसभा के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेरित हैं या इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।'

संविधान संशोधन का अनुच्छेद 243 (क) यह स्पष्ट करता है कि ग्रामसभा ग्राम–स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए। इस प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि संविधान संशोधन में ग्रामसभा के कार्यों और शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान संशोधन इस कार्य को राज्य के विधानमंडल को सौंप देता है।

ग्रामसभा के कार्य एवं अधिकार

राज्यों के अधिनियमों ने ग्रामसभा को अनेक दायित्व सौंपे हैं। यह दायित्व विभिन्न राज्यों में कमोबेश एक ही समान हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग–अलग राज्यों में बनाए गए कानूनों का अध्ययन काफी रोचक है। बिहार के नए पंचायती राज अधिनियम में ग्रामसभा को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित कार्य हैं :

- ग्रामीण विकास से संबंधित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों इत्यादि में सहयोग के बारे में समीक्षा।
- गांव में प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम संचालित करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा आगामी प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, सरकारी विकास कार्यक्रमों, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना।
- ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गांवों की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता निर्धारण करना।
- ग्राम–स्तर पर विकास कार्यक्रमों की देखरेख, जांच–पड़ताल के लिए ग्रामसभा को ही निगरानी समिति के गठन का अधिकार है। ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होगा। निगरानी समिति का प्रतिवेदन ग्रामसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी।
- ग्राम पंचायत के सालाना लेखा–जोखा के बारे में चर्चा करना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर गहन विचार–विमर्श करना।
- ग्राम पंचायत ने पिछले वर्ष क्या विकास कार्य किया है और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों पर विचार करना।

ग्रामसभा की बैठकें

विभिन्न राज्यों के अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्रामसभा की बैठक ग्राम पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य के सरकारी अधिकारी या पंचायती राज की उच्चतर इकाई का निर्वाचित अध्यक्ष ग्रामसभा की बैठक बुला सकता है। ग्रामसभा की बैठक हर तीन माह पर बुलाई जाती है। आमतौर पर ग्रामसभा की बैठक साल में कम से कम चार बार की जानी है, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामसभा की बैठक कभी भी और जितनी बार मुखिया या सदस्य चाहे, प्रक्रियानुसार बुला सकते हैं। ग्रामसभा की बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर और ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना चिपकाकर एवं अन्य आधुनिक प्रचार साधनों से दी जाती है। ग्रामसभा बैठक का आयोजन करने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है।

बैठक में कोरम पूरा करने के लिए ग्रामसभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा हाजिर होना जरूरी है। यदि बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो एक घंटा इंतजार कर बैठक स्थगित कर दी जाती है। स्थगित बैठक अगले दिन अथवा आने वाले किसी दिन के लिए निर्धारित की जाती है। स्थगित बैठक के बाद की बैठक में कोरम कुल सदस्यों के 40वें भाग से पूरा होता हैं। ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया और मुखिया की अनुपस्थिति में उपमुखिया करते हैं। ग्रामसभा सौंपे गए विषयों से जुड़े किसी संकल्प को ग्रामसभा में हाजिर सदस्यों के बहुमत से पारित करती है। ग्रामसभा की बैठक के आवश्यक मुद्दे निम्न प्रकार हैं :–

- अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट जिसमें आय–व्यय का विवरण होगा।
- पिछले वर्ष का वार्षिक लेखा–जोखा विवरण।
- पिछले वर्ष की अंकेक्षण टिप्पणी और उसकी स्वीकृति।
- पिछले वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन।
- विकास कार्यक्रमों का प्रतिवेदन।
- निगरानी समिति का प्रतिवेदन।

ग्राम पंचायत पर ग्रामसभा का नियंत्रण

राज्यों के अधिनियमों में ग्राम पंचायत पर ग्रामसभा के नियंत्रण का उल्लेख है। यह इस बात का द्योतक है कि

'स्वशासन की इकाई' के रूप में 'ग्रामसभा' की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही आम जन इस भूमिका से भली–भांति अवगत नहीं हो, किन्तु इस बात की ज्यादा दिनों तक अनदेखी नहीं की जा सकती है। राज्यों के पंचायत अधिनियमों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामसभा अपनी बैठक में ग्राम पंचायत के बजट और क्रियाकलाप की जांच करेगी। तदुपरान्त, ग्रामसभा ग्राम पंचायत की गतिविधियों के बारे में अपना सुझाव दे सकती है, किन्तु राज्य के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि ग्रामसभा के सुझावों को ग्राम पंचायत को मानना अनिवार्य होगा। सिर्फ केरल राज्य के पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि यदि ग्राम पंचायत ग्रामसभा के सुझाव को नहीं मानती है तो उसे ग्रामसभा की अगली बैठक में इस बात को आम जन के बीच स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से ग्राम पंचायत ग्रामसभा के सुझावों को अमल में लाने में सक्षम नहीं हुई।

यह उल्लेखनीय है कि बिहार, गोआ, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि ग्रामसभा एक या एक से अधिक निगरानी समिति गठित कर सकती है जो पंचायत की गतिविधियों की निगरानी करेगी। ग्रामसभा गांव के आम जन से निगरानी समिति के लिए सदस्य निर्वाचित करेगी। इस प्रावधान से आम जन की भागीदारी व्यापक होगी। निगरानी समिति की इस व्यवस्था से ग्रामसभा ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप का सही ढंग से देख–रेख कर सकेगी। पंचायती राज प्रणाली में कुछ राज्यों के अधिनियमों में यह प्रावधान है कि आम जन ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दो–तिहाई बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर पदमुक्त कर सकते हैं। इसे 'प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार' या 'राईट टू रिकाल' की संज्ञा भी दी गई है। बिहार राज्य के पंचायत अधिनियम में ग्रामसभा स्तर पर कार्यों और अधिकारों के सदंर्भ में अनुच्छेद 18 (4) (1) में दिए गए प्रावधान से ग्राम पचांयत अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसकी तीन शर्तें रखी गई हैं। मुखिया को हटाने की मांग को कुल मतदाताओं के पंचमांश (1/5) के हस्ताक्षर से एक आवेदन–पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होगा। तदुपरान्त, पंचायत पदाधिकारी एक सप्ताह में एक नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं की अविश्वास प्रस्ताव पास करने हेतु 15 दिन में किसी स्थान पर बैठक आयोजित करेगा। दूसरा, यदि अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से नहीं पारित हो पाता है तो इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव नामंजूरी की तिथि से आगामी दो वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। तीसरा, पंचायत की पांच वर्ष की अवधि के अंतिम छह माह में मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।

समाज सुधार के कार्यक्रम

कुछ राज्यों ने अपने पंचायती राज कानूनों में 'समाज सुधार के कार्य' शीर्षक के अंतर्गत एक अलग श्रेणी का प्रावधान रखा है जो 73वें संविधान संशाधेन अधिनियम में शामिल 11वीं अनुसूची के 29 विषयों से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा है। असम, बिहार और पंजाब के पंचायती राज कानूनों में समाज सुधार की गतिविधियों को जिला परिषद को सौंपा गया है, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

- अंधविश्वासों, जातिवाद, अस्पृश्यता, शराबखोरी, खर्चीले विवाहों एवं सामाजिक समारोहों, दहेज एवं दिखावटी उपयोग के खिलाफ अभियान।
- सामूहिक विवाह उत्सव एवं अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना।
- बेरोजगारों एवं अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों, जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति–जनजाति का हो, के लिए भत्ते की व्यवस्था करना।
- पारम्परिक त्यौहारों को नया सामाजिक संदर्भ प्रदान करना।

ग्रामसभा एवं स्वयंसेवी संगठनों का संबंध

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित अशोक मेहता समिति, 1978 और ग्राम विकास विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा गठित जी.वी.के.राव समिति, 1985 की रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच सहयोग पर बल दिया है। यह खेदजनक है कि न तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और न ही पंचायती राज पर विभिन्न राज्यों के कानूनों में इस दिशा में कोई प्रयास किया गया है। कुछ राज्यों ने गांव के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बनाए रखने और अन्य अनेक समाज सुधार के कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ सहयोग संबंध स्थापित करने का कार्य ग्रामसभा को सौंपा जाए जिससे सहभागी लोकतंत्र के आधार को और विस्तृत किया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए विविध विषयों को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवी संगठनों जैसे किसान संगठनों, कृषि मजदूर संगठनों, पर्यावरण समूहों, नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक समूहों, दलित एवं महिला संगठनों आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया

जा सकता कि वे ग्रामीण समाज के कमजोर तबकों में चेतना जगाने एवं उन्हें संगठित करने का कार्य करते हैं। इस संदर्भ में ग्रामसभा के महत्व को भी कम नहीं किया जा सकता। जहां ग्रामसभा एवं राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र है, वहीं स्वयंसेवी संगठन जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा ग्रामसभा अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संविधान द्वारा मान्य मंच भी है। ग्रामसभा की इस विशिष्ट स्थिति का सही ढंग से उपयेाग उन समर्पित एवं अनुभवी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो अनेक स्वयंसेवी संगठनों का संचालन कर रहे हैं। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों के संचालन में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

ग्रामीण जन की व्यापक भागीदारी हेतु ग्रामसभा के अंतर्गत वार्डसभा का प्रावधान

पंचायती राज प्रणाली में ग्रामीण जन की भागीदारी ग्राम पंचायत–स्तर पर ग्रामसभा के मंच पर होती है। यह भागीदारी तृणमूल स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के लिए एक सदस्य मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में हर वार्ड के स्तर पर वार्डसभा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल में ग्रामसभा के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम, 1973 में एक संशोधन द्वारा 1994 में ग्राम पंचायत स्तर पर वार्डसभा का प्रावधान भी जोड़ा गया। इस संशोधन में वार्डसभा को 'ग्राम संसद' की संज्ञा दी गई है। केरल के पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्रामसभा के अतिरिक्त वार्डसभा का प्रावधान है। केरल में ग्राम पंचायत की जनसंख्या 10000 से 75000 तक होती है। इसीलिए वार्डसभा के अंतर्गत एक और छोटी इकाई का प्रावधान 1999 में एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हर छोटी इकाई में सिर्फ 50 घर होते हैं जो पड़ोसी इकाई का द्योतक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में भी एक संशोधन द्वारा 2000 में ग्रामसभा के अंतर्गत स्थित वार्ड में वार्डसभा का प्रावधान जोड़ा गया है।

मनरेगा में ग्रामसभा की भूमिका

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत् चल रहे कार्यक्रमों की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के स्तर पर भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामसभा को सौंपी गई है। इस कार्य को सामाजिक संपरीक्षा या अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया

हेतु ग्रामसभा की साल में कम से कम दो बैठकें होती हैं। मनरेगा के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में ग्रामसभा की बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों और सरकारी पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण भी होता रहता है। समय–समय पर केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी राज्यों में चल रहे मनरेगा कार्यक्रमों की जांच–पड़ताल करने हेतु गांवों का दौरा करते हैं। इससे भी ग्रामसभा सोशल ऑडिट का कार्य सुनिश्चित होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अधिनियम, 2005 के दो प्रावधानों 16(1) और 16 (3) में मनरेगा की स्कीमों के सोशल ऑडिट के कार्य में ग्रामसभा की भूमिका का उल्लेख किया गया है। 16(1) यह स्पष्ट करता है कि "ग्राम पंचायत ग्रामसभा और वार्डसभा की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। इस प्रावधान के अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम के 16(3) में यह उल्लेखित है "प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्रामसभा और वार्डसभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कार्य की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने पर संभव कार्यों का एक शेल्फ रखेगी।"

मनरेगा परियोजनाओं की ग्रामसभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा मनरेगा अधिनियम, 2005 के निम्न दो प्रावधानों के आधार पर होती है :–

- मनरेगा की किसी स्कीम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता हो और हर व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो।
- कार्यों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए।

- गांव के किसी आम व्यक्ति को मनरेगा अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए।
- अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए।

मनरेगा की परियोजनाओं में मजदूरों को साल में सौ दिन का रोजगार मिलता है। भारत में औसतन 100 से 200 के बीच प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। बिहार में मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों को अब 144 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी 15 दिन के अंतर्गत मिलती है जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में उसके नाम के खाते में जमा होती है। इन मजदूरों की भी सामाजिक संपरीक्षा के लिए ग्रामसभा की बैठक बुलाने का दबाव बन जाता है। अतः ग्रामसभा की बैठकों को टाला नहीं जा सकता है।

निष्कर्ष

लोकतंत्र को मजबूती प्रदन करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में 'स्वशासन की इकाई' की अवधारणा का उल्लेख एक सही कदम है। किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि 'इकाई' राजनीतिक के साथ–साथ आर्थिक 'इकाई' भी है और इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इस संदर्भ में ग्रामसभा को एक 'कृषि औद्योगिक समुदाय' की संज्ञा दी जा सकती है। इसके क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु ग्रामीण जन के योगदान पर बल देना होगा। जी.बी.के.राव समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों में गांव के लोगों का स्वैच्छिक सहयोग स्वावलम्बन की दिशा में पहला कदम होगा। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नकद, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में आम जन का योगदान लगभग 100 करोड़ रुपये के बराबर अनुमानित किया गया था। बाद की योजनाओं में इस कार्य पर कम बल दिया गया। ध्यान रहे कि राज्यों के पंचायत अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि ग्रामसभा को इस जिम्मेदारी को निभाना है कि ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के श्रमदान हेतु लोगों को प्रेरित किया जाए। निःसंदेह इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर एक गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारिणी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। कुछ राज्यों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। केन्द्र सरकार ने भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में एक संशोधन द्वारा महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन का विषय है कि इस आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव आम महिलाओं पर पड़ा है या नहीं। यह ज्ञात होता है कि ग्रामसभा की बैठकों में पुरुषों की तुलना में आम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। यह असमानता महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक गलत संदेश देती है। आज महिलाओं द्वारा गठित स्वयंसहायता समूहों का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। किन्तु यह अब तक साफ जाहिर नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं से इन समूहों का संबंध बना है या नहीं। यदि ग्रामसभा के स्तर पर इन समूहों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तो ग्रामसभा में आम महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आम महिलाओं को स्वयंसहायता समूह बनाने की प्रेरणा मिलेगी और यह महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सराहनीय कदम होगा।

यह उल्लेखनीय है कि 2011 से केन्द्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय कुछ नए बिन्दुओं पर विचारमंथन कर रहा है, जिसे पंचायती राज प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा। इन बिन्दुओं में ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में तीन बातों पर विचार हो रहा है। पहला–बड़े आकार की पंचायतों में वार्ड स्तर पर वार्डसभा का भी प्रावधान रखा जाए जिसमें व्यापक रूप से मतदाताओं की भागीदारी होगी। ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम में वार्डसभा का प्रावधान मौजूद है। दूसरा–ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलाप के लिए ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा–ग्रामसभा को नए अधिकार दिए जाएंगे जो संसद द्वारा पारित पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 में वर्णित हैं। इन अनुसूचित क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र आते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निहित हैं। इन संशोधनों में भी क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को वैसी शक्ति मिल जाएगी तो कार्यपालिका संबंधी विकास कार्यों के लिए होती हैं। यह संविधान द्वारा बाध्यकारी है और इस प्रावधान से ग्रामसभा की भूमिका बढ़ जाएगी। इस नए प्रावधान से 73वें संविधान संशोधन में उल्लेखित पंचायतों के लिए 'स्वशासन की इकाई' शब्द का मूर्तरूप 'ग्रामसभा' में परिलक्षित होगा।

ग्रामसभा की महत्ता को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों को इस पर विचार करना होगा कि गांव के आम जन की भागीदारी ग्रामसभा के स्तर पर कैसे बढ़ाई जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता आए और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए पदाधिकारियों से जवाबेदेही की भावना बढ़े।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sonikumari4284@gmail.com

ग्रामीण विकास और पंचायतें

डॉ. अनीता मोदी

स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 'पंचायती राज व्यवस्था' को न केवल पुनर्जीवित किया अपितु स्थायित्व प्रदान करने का भी प्रयास किया। देश में संविधान के 73 तथा 74वें संशोधनों के माध्यम से मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया है। इन संशोधनों के कारण इन पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की गारंटी प्राप्त हो गई है। निर्विवाद रूप से यह तथ्य सत्य है कि वित्तीय रूप से सशक्त व स्वावलंबी होने पर ही 'पंचायती राज व्यवस्था' का ग्रामीण विकास में सशक्त व प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है।

गांवों का विकास किए बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 'पंचायत' ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम आधारभूत इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करके ग्रामीण विकास के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को एक ही सिक्के के दो पहलू कहना अतिशयोक्ति नहीं है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पंचायतों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उचित ही कहा था, "सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। यह तभी संभव है जब गांव में रहने वाले आम आदमी को भी शासन के बारे में फैसला करने का अधिकार मिले।" इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन अधिनियम, 1919 में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकरण को महत्व प्रदान किया गया तथा देश में नियोजन व्यवस्था के प्रारम्भ होते ही पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। यही नहीं, पंचायतों को सशक्त बनाने की वकालत करते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, "यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।" संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सूची में शामिल करते हुए इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट किया गया है कि "राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकारों से सम्पन्न करने

के लिए प्रयास करेंगी, जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।

किन्तु अफसोस का विषय है कि पंचायतों को स्वायत्तता एवं वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं करने के कारण इस प्रणाली की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया। ऐसी निराशाजनक स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने एवं उनको सशक्त आधार प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक समितियों का गठन किया गया। इस संदर्भ में वर्ष 1991 में गठित नाथूराम मिर्धा समिति महत्वपूर्ण है जिसने वर्ष 1992 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रारम्भ की गई पंचायती राज योजना 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से अप्रैल 1993 को क्रियान्वित हो पाई। इस दृष्टिकोण से नब्बे के दशक को पंचायती राज व ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दशक माना जा सकता है। गौरतलब है कि इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढ़ता व व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायतों की पुरजोर वकालत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि "निचले स्तर पर पंचायतों को रखना होगा, अन्यथा उच्च और मध्य का तंत्र गिर जाएगा।" इस स्वप्न को साकार रूप प्रदान करते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 'पंचायती राज व्यवस्था' को न केवल पुनर्जीवित किया अपितु स्थायित्व प्रदान करने का भी प्रयास किया। देश में संविधान के 73 तथा 74 वें संशोधनों के माध्यम से मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया है। इन संशोधनों के कारण इन पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की गारंटी प्राप्त हो गई है। निर्विवाद रूप से यह तथ्य सत्य है कि वित्तीय रूप से सशक्त व स्वावलंबी होने पर ही 'पंचायती राज व्यवस्था' का ग्रामीण विकास में सशक्त व प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है। 73 वें संविधान संशोधन में पंचायतों की स्थापना संबंधी अनेक प्रावधानों में मुख्य प्रावधान यह है कि, 'राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जोकि उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत बना सकें तथा जिनसे पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सकें एवं उनका क्रियान्वयन कर सकें।'

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पंचायती व्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य यही है कि गांवों से पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसे समतामूलक समाज की रचना की जाए जिसमें असमानता, अन्याय व शोषण की लकीरें विद्यमान नहीं हो। समाज के सभी जाति, वर्ग, महिला व पुरुष एवं बालकों के अधिकारों को संरक्षित व सुरक्षित करना संभव हो सके। बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी जैसे दानवों से मुक्त गांव स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के प्रतिबिम्ब हों। इस प्रकार से सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त गांव ही देश के विकास की वास्तविक तस्वीर के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे तथा इस दुष्कर व जटिल कार्य के सम्पादन में पंचायतों की भूमिका सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण साबित होगी।

'वित्तीय दृष्टिकोण से सशक्त होने पर ही पंचायतें गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता हासिल कर सकती हैं।" इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतों को शुल्क, चुंगी व फीस आदि लगाने व संगृहित करने का अधिकार दिया गया तथा राज्य सरकार की आकस्मिक निधि से भी वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया ताकि पंचायतों को वित्तीय मजबूती उपलब्ध हो सके। यही नहीं ,नियमित चुनावों की व्यवस्था करके पंचायतों को स्वायत्त, स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है।

वर्तमान में, पंचायतें ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध आर्थिक–सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर योजनाएं बनाकर व उनके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए गांवों में विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। गांवों में कृषि विकास व विस्तार, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन विकास, लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का भार पंचायतों के कंधों पर ही है। गांवों में सफाई, स्वच्छता, चिकित्सा, शिक्षण व्यवस्था, बिजली, पानी व सिंचाई जैसी आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान पंचायती संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही महिला वर्ग, गरीब वर्ग व पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण, रखरखाव व देखभाल की जिम्मेदारी पंचायतों पर ही है। इस प्रकार से, पंचायती संस्थाएं गांवों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाकर उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी दिशा में, सरकार ने 27 मई, 2004 को पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना करके पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु एक साहसिक कदम बढ़ाया है।

गांवों में विद्यमान बेरोजगारी, गरीबी व निरक्षरता जैसी भयावह समस्याओं के समाधान में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश में गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। पंचायतें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयंसहायता समूहों को बैंकों से ऋण प्रदान करके सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया गया जिससे गांवों में मांग आधारित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के विकास के साथ ही बेरोजगार हाथों को काम उपलब्ध करवाया जा सका है। यही नहीं, ग्रामीण गरीबी, भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2006 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पंचायतों का योगदान सराहनीय रहा है। इस योजना के संचालन से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बेरोजगारों को काम उपलब्ध होने से गांवों से शहरों की तरफ पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। इस योजना से महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। इस योजना के सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्रामसभाओं को सौंपकर इस योजना के संचालन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की गई है।

पंचायतें 'महिला स्वयंसिद्धा योजना' को महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संचालित करती हुई महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत 19.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी भांति, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य 'सबको प्रारम्भिक शिक्षा' की प्राप्ति हेतु वर्ष 2000–01 से पूरे देश में संचालित 'सर्वशिक्षा अभियान' को सफल बनाने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को समावेशित करके समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं बालिका शिक्षा योजना के सफल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। पंचायतों के सक्रिय प्रयासों के कारण ही गांवों में साक्षरता का स्तर बढ़ा है। बालिकाओं का स्कूलों में नामांकन बढ़ने के साथ ठहराव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' के जरिए पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन–स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस अभियान के अन्तर्गत सफाई, गृह स्वच्छता, शुद्ध जल, मलमूत्र के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सुलभ शौचालयों का निर्माण भी प्राथमिकता के तौर पर किया गया है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए गांवों में स्वच्छता एवं सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना' प्रारम्भ की गई है।

गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु केन्द्र सरकार ने स्वजलधारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व पंचायतों को सौंपा है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में कुएं, बावड़ी बनाने व हैण्डपम्प लगाने पर होने वाली कुल लागत का 10 प्रतिशत अंश ग्रामवासियों तथा शेष 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति, कमजोर वर्गों के लोगों को तथा मुक्त बन्धुआ श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पंचायतें प्रयासरत हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत ग्रामसभाओं के द्वारा चयनित व्यक्तियों को आवास सुविधा प्रदान करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपये तथा दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी भांति ,राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित तीन योजनाओं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायतों द्वारा ही किया जाता है।

ग्रामीण–शहरी अन्तराल को पाटते हुए सन्तुलित सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु 15 अगस्त 2003 से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान सम्बन्धी योजना (पुरा)का संचालन पंचायती संस्थाएं प्रभावपूर्ण ढंग से कर रही हैं। इसी भांति ,इण्डिया व भारत के बीच के अन्तर को पाटने के लिए गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को निश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने भारत निर्माण योजना का शुभारम्भ दिसम्बर 2005 में किया। इस योजना के तहत गांवों में छः प्रमुख क्षेत्रों यथा– सिंचाई, जलापूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन एवं विद्युतीकरण के विकास का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका पर बल दिया गया।

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान होने से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाएं अपने घर की देहरी से बाहर कदम रखकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी क्षमता व कौशल का परिचय दे रही हैं। यही नहीं, महिलाएं उत्पीड़न व शोषण के बावजूद अपने साहस व स्वाभिमान का परिचय देते हुए अगले चुनावों की तैयारी में जुटी हुई हैं।

इस प्रकार से ,पंचायत संस्थाएं ग्राम विकास करते हुए गांवों की समृद्धि एवं समुन्नति का आधार साबित हो रही हैं। इसी वजह

से देश विकास के नए स्तरों को छू रहा है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर गांवों में ही किया जा रहा है जिससे समय, श्रम, धन व ऊर्जा की बचत होती है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी होने की वजह से गाँवों में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ है। सदियों से शोषित दलित वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सत्ता में भागीदारी व नेतृत्व बढ़ने से उनमें नवीन शक्ति, सामर्थ्य व चेतना का संचार हुआ है।

इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में अनेक खामियां समक्ष आई हैं, जिनको दूर करके इस व्यवस्था को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं सफल बनाया जा सकता है। प्रमुख तौर पर, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद व लालफीताशाही जैसे अवांछनीय तत्व ग्राम विकास सम्बन्धित सभी योजनाओं की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। पंचायती चुनाओं के दौरान हिंसात्मक घटनाओं, मतपेटियां छीनने, जोर–जबर्दस्ती व गुण्डागर्दी का बोलबाला रहता है, जिससे इन चुनावों की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग जाता है। इसी तरह, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था लागू करने के बावजूद भी वास्तविक सत्ता पुरुष वर्ग के हाथों में ही संकेन्द्रित रहती हैं। महिलाएं निरक्षरता, जागरुकता की कमी एवं सामाजिक बंधनों के कारण नाममात्र की अध्यक्ष, सरपंच या निर्वाचित प्रतिनिधि बन कर रह जाती हैं। गांवों में विभिन्न वर्गों व जातियों के मध्य तनाव व वैमनस्य की दीवारें विद्यमान होने के कारण पंचायतें अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाती हैं।

निसंदेह रूप से, गत वर्षो में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद भी पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ व प्रासंगिक बनाने हेतु कुछ सार्थक व प्रभावशाली परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है। सर्वप्रथम, गांवों मे आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों को यह देखना होगा कि स्थानीय जनता की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं, इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं तथा इन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग प्रभावी रूप से एवं ईमानदारी से किस भांति किया जाए ताकि ग्रामीण समाज के सभी लोगों को बिना भेदभाव के इन सबका लाभ उपलब्ध हो सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, कृषि व लघु उद्योगों के विकास, सामाजिक वानिकी, भूमि व जल संरक्षण, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण सड़कें, संचार व्यवस्था व बैंकिंग व्यवस्था आदि से संबंधित योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके ही पंचायतें अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर सकती हैं तथा इस प्रकार से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मध्य विद्यमान अन्तराल को पाटकर सम्पूर्ण भारत को समन्वित व एकीकृत विकास पथ पर अग्रसर करना संभव है।

इसी प्रकार ,ग्रामीण विकास के जटिल कार्य के संपादन हेतु ग्राम विकास से संबंधित विविध समितियों, संगठनों व संस्थाओं को एकीकृत व समन्वित ढंग से कार्य करना जरूरी है। प्रत्येक संगठन या विभाग द्वारा एकाकी रूप से कार्य करके ग्रामीण विकास के जटिल कार्य को प्राप्त करना संभव नही है। इसी क्रम में, पंचायतें वित्तीय रूप से सशक्त होने हेतु हरसंभव प्रयास करें क्योंकि वित्त एवं संसाधन किसी भी संस्था की सफलता में महत्ती भूमिका रखते हैं। पंचायतें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु सामाजिक आचार संहिता का प्रावधान करके उनको ग्रामीण विकास हेतु उत्तरदायी बनाकर प्रेरित व प्रोत्साहित कर सकती हैं।

इसी भांति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मानवीय मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उनको ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाया जाना संभव हो सके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि ग्रामीण जन स्वयं सचेत, जागरूक व सचेष्ट होकर ही पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी, कारगर व ईमानदार बनाकर गांवों की धुंधली तस्वीर को चमका सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी गांवों के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए नेहरूजी को स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि 'मेरी दृढ मान्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजादी प्राप्त करनी है व भारत के जरिए संसार को भी, तो आगे–पीछे हमें यह समझ लेना होगा कि भारत की जनता को गांवों में रहना है शहरों में नहीं, झोंपड़ियों में रहना है, महलों में नहीं।'

वस्तुतः पंचायती राज व्यवस्था ग्राम विकास के लिए आशा की किरण है। यह व्यवस्था वास्तविक अर्थों में तभी सफल व प्रभावी होगी जब गांवों में शिक्षा व साक्षरता की रोशनी फैलेगी, ग्रामीण जन संकीर्ण भावनाओं, तुच्छ स्वार्थों व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक सोच व चिन्तन को अपनाने हेतु ग्रामों के विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करेंगे। साथ ही, भ्रष्टाचार रूपी विषबेला को समूल उखाड़कर ही पंचायती राज संस्थाएं पूर्ण राजनैतिक कटिबद्धता, ईमानदारी व पारदर्शी ढंग से सम्पूर्ण ग्रामीण कार्यक्रमों के संचालन हेतु कटिबद्ध हो सकती हैं। ऐसा करके ही गांवों की धुंधली तस्वीर को चमका कर वास्तविक मायनों में 'इण्डिया शाइनिंग' की धारणा को मूर्त रूप प्रदान किया जाना सम्भव है और तभी विकास का वास्तविक चेहरा सामने आएगा।

(विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय जायल, नागौर (राजस्थान)
ई–मेल : anita3modi@gmail.com

पंचायतों का स्वायत्तता स्तर : एक मूल्यांकन

डॉ. महीपाल

पंचायतों को राज्य-स्तर से अधिकारों एवं शक्तियों का कितना हस्तांतरण हुआ है इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन करवा कर यह जानने का प्रयास किया है कि कहां तक पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न आयामों के आधार पर संयुक्त हस्तांतरित सूचकांक तैयार किया गया है। इस सूचकांक के 6 आयाम हैं जिनके आधार पर पंचायतों की स्वायत्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है।

73वें संविधान संशोधन को लागू हुए दो दशक बीत चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस संशोधन ने पंचायतों को नया जीवन प्रदान करने के साथ-साथ इनको निश्चितता, सतता, एवं मजबूती प्रदान की। इस संशोधन से पहले पंचायतों का जीवन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। राज्यों में चुनावों के दौरान लोगों को 'पावर' देने की बात कही लेकिन सत्ता में आते ही पंचायतों को 'पावर' के नाम पर अंगूठा दिखा दिया जाता। इन्हें सशक्त बनाने की बात तो दूर की रही, पंचायतों के लगातार चुनाव भी नहीं हुए। लेकिन 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों का कार्यकाल निश्चित किया, राज्य चुनाव आयोग व राज्य वित्त आयोग बनाए एवं इन संस्थाओं में महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों के समूह जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के माध्यम से जगह प्रदान की ताकि उनकी भागीदारी स्थानीय शासन में सुनिश्चित हो सके। पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां देने का प्रावधान संशोधन में था, लेकिन वह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा हुआ था अर्थात वह अनिवार्य प्रावधान नहीं था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह आंकलन करना जरूरी हो जाता है कि दो दशक के बाद देखा जाए कि पंचायतें क्या वास्तव में स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनकर उभरकर सामने आई हैं या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि स्वायत्त शासन की संस्थाएं किन्हें कहेंगे अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। संक्षेप में, उन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाएं कहेंगे जो निम्न तीन बातें पूरी करती हो। प्रथम, उन संस्थाओं के कार्य स्पष्टता से परिभाषित हों अर्थात कौन-सा कार्य पंचायत के किस स्तर द्वारा किया जाना है, यह स्पष्ट हो। द्वितीय, इन कार्यों को करने के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। तृतीय, इन संस्थाओं के पास पर्याप्त कर्मी हों जिनके द्वारा परिभाषित कार्यों को पूरा किया जा सके। इनके साथ-साथ हम दो बातें और जोड़ देते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन हो और पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता हो। प्रस्तुत लेख में इन्हीं आयामों को ध्यान में रखकर पंचायतों की स्वायत्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है।

पंचायतों को राज्य–स्तर से अधिकारों एवं शक्तियों का कितना हस्तांतरण हुआ है इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन करवा कर यह जानने का प्रयास किया है कि कहां तक पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न आयामों के आधार पर संयुक्त हस्तांतरित सूचकांक तैयार किया गया है। इस सूचकांक के 6 आयाम हैं। प्रथम 'फ्रेमवर्क' इसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य पहलूओं जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, जिला नियोजन समितियों का गठन, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आदि इस सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय, पंचायतों को कार्यों का हस्तांतरण

तलिका 1: राज्यवार हस्तांतरित सूचकांक

रैंक	राज्य	'फ्रेमवर्क' (डी1)	कार्य (डी2)	वित्त (डी3)	कर्मी (डी4)	क्षमतावर्धन (डी5)	जवाबदेही (डी6)	(डी)
1	महाराष्ट्र	48.95	56.31	55.5	75.37	75	76.64	64
2	कर्नाटक	67.55	57.96	49.97	63.12	79.04	69.73	62.2
3	केरल	41.34	52.86	48.52	68.55	58.77	64.64	55.4
4	राजस्थान	68.33	52.97	35.61	40.9	79.43	57.25	52.1
5	तमिलनाडु	69.84	52.33	46.26	39.23	63.4	52.97	52.1
6	पश्चिम बंगाल	56.84	50.57	35.41	37.67	81.18	53.96	49.8
7	मध्य प्रदेश	60.37	52.61	34.44	39.45	51.41	62.5	47.3
8	छत्तीसगढ़	53.75	37.53	31.77	33.68	78.52	48.27	44.6
9	हरियाणा	70.39	31.14	36.91	50.19	42.68	46.09	43.6
10	गुजरात	54.58	38.92	26.55	53.18	46.61	43.76	40.8
11	ओड़ीशा	66.5	51.46	35.11	28.55	19.14	53.04	40
12	उत्तराखंड	54	53.9	27.23	32.02	43.24	52.85	39.4
13	उत्तर प्रदेश	60.02	41.04	26.17	28.57	45.88	41.06	37.3
14	असम	44.69	42.76	23.13	21.66	67.84	37.65	36.9
15	हिमाचल प्रदेश	56.19	22.43	34.92	35.35	36.15	44.32	36.8
16	गोवा	50.7	17.78	18.69	48.23	32.87	41.72	31.8
17	पंजाब	60.24	24.25	17.37	23.64	38.67	46.74	31.2
18	बिहार	49.78	39.44	19.4	24.29	42.01	21.6	29.9
19	जम्मू एवं कश्मीर	15.38	15.28	28.01	23.98	51.61	35.15	28.9
20	झारखंड	55.01	18.97	13.95	23.52	46.11	28.48	27.3
				पूर्वोत्तर राज्य				
1	त्रिपुरा	48.1	46.03	28.37	53.34	29.71	46.91	39.7
2	सिक्किम	68.56	45.07	31.37	29.25	41.72	36.3	39.1
3	मणिपुर	29.52	12.22	24	20.41	45.13	27.27	25.9
4	अरुणाचल प्रदेश	30.88	17.22	25.17	10.14	34.67	24.85	23.7
				केंद्रशासित प्रदेश				
1	लक्षद्वीप	48.89	20.79	7.33	39.82	30.95	28.29	25.1
2	दमन एवं दीव	56.04	3.43	8.03	33.56	0	30.11	18.1
3	दादर एवं नगर हवेली	28.6	1.11	0.78	39.17	20.85	32.22	17.3
4	चंडीगढ़	24.16	7.22	25.86	18.8	0	8.14	15.3
5	राष्ट्रीय औसत	51.4	34.06	29.45	36.99	49.33	43.33	38.5

स्रोत : भारत में पंचायतों का सशक्तिकरण, राज्यवार हस्तांतरित सूचकांक अनुभाविक मूल्यांकन 2012–13 अप्रैल, 2013 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

अर्थात् कितने कार्य एवं शक्तियां पंचायतों को हस्तांतरित की गईं हैं। तृतीय, पंचायतों को कितने वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए हैं। चतुर्थ, पंचायतों में कर्मियों की क्या स्थिति है। पंचम, पंचायतों का क्षमतावर्धन अर्थात उनको किस स्तर तक प्रशिक्षण दिया गया है एवं प्रशिक्षण संरचना की क्या स्थिति है। छठा जवाबदेही है। इसके अंतर्गत ग्रामसभा की बैठकों का होना, वित्तीय ऑडिट एवं सामाजिक ऑडिट शामिल हैं।

अंततः इन सभी को शामिल करके संयुक्त सूचकांक तैयार किया गया है ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि विकेंद्रीकरण राज्य से पंचायतों को कितना हुआ। तालिका–1 में इन सभी सूचकांकों को राज्यवार दिया गया है। सुविधा की दृष्टि से फ्रेमवर्क को 'डी1' कार्यों को 'डी2', वित्त को 'डी3', 'कर्मी को 'डी4', क्षमतावर्धन 'डी5', जवाबदेही को 'डी6' एवं संयुक्त सूचकांक को 'डी' के द्वारा दर्शाया गया है। यहां पर यह भी बता दें कि संयुक्त सूचकांक में 'फ्रेमवर्क' को 10 प्रतिशत भार, वेटेज कार्यों को 15 प्रतिशत भार, वित्त को 30 प्रतिशत भार, क्षमतावर्धन एवं जवाबदेही को क्रमशः 15 प्रतिशत भार दिया गया है। संयुक्त सूचकांक में सबसे ज्यादा भार वित्त को दिया है जोकि स्वाभाविक है क्योंकि यदि पैसा ही नहीं होगा तो कार्य ही क्या होंगे। अर्थात् पंचायतों की स्वायत्तता मुख्य रूप से उनकी वित्त की आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। सबसे कम भार 'फ्रेमवर्क' को दिया है क्योंकि यह अनिवार्य प्रावधानों को बताता है अर्थात ये प्रावधान तो राज्यों ने अपने पंचायत अधिनियमों में करने ही थे। इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखकर आइए देखते हैं कि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में पंचायतों की स्वायत्तता का स्तर क्या है।

हस्तांतरण सूचकांक के आधार पर पंचायतों का स्वायत्तता स्तर– पंचायतों से उम्मीद है कि वे अपने स्तर पर ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करेंगी एवं लागू करेंगी। ऐसा करते समय उनका अपने स्तर पर स्वायत्त होना जरूरी है। स्वायत्त संस्थाएं किन्हें कहेंगे, इसकी चर्चा लेख के उपरोक्त भाग में की गई है। पंचायतों से जो इतनी उम्मीद है आओ देखें कि वे स्वतः कितनी सशक्त एवं सक्षम हैं। तालिका में राज्यवार एवं राष्ट्रीय–स्तर पर हस्तांतरित सूचकांक में विभिन्न घटकों को दिया गया है। आइए एक–एक करके घटकों की चर्चा करते हैं।

फ्रेमवर्क का हस्तांतरण (डी1) – यह घटक अनिवार्यता को बताता है अर्थात 73वें संविधान संशोधन में जो अनिवार्य प्रावधान राज्यों को हू–ब–हू करने थे ,उनको इसके अंदर रखा है। लेकिन इसकी प्रगति को देखकर बड़ी निराशा होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका 'स्कोर' मात्र 51.40 है। जबकि यह तो शत–प्रतिशत होना चाहिए था। राज्य–स्तर पर देखें तो पाते हैं कि इसका सबसे ज्यादा 'स्कोर' हरियाणा (70.39) में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर (15–38) में है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

कार्यों का हस्तांतरण (डी2) – कार्यों के हस्तांतरण को देखें तो यहां पर भी स्थिति निराशाजनक है। राष्ट्रीय स्तर पर इस घटक का 'स्कोर' मात्र 34.06 है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने कार्य पंचायतों को हस्तांतरित करने थे उनका मात्र एक तिहाई ही पंचायतों को हस्तांतरित हुआ है। राज्यवार स्थिति इस प्रकार है–कर्नाटक (57.90) सबसे ऊपर है और इसके बाद महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य हैं। मणिपुर (12.22) सबसे नीचे है। अन्य राज्य इन दोनों राज्यों के मध्य में हैं जैसाकि तालिका दर्शाती है। मजे की बात यह है कि कुल राज्यों में से मात्र 15 राज्यों का 'स्कोर' 'राष्ट्रीय स्कोर' से अधिक है। जब पंचायतों को कार्य ही नहीं दिए जाएंगे तो अन्य अधिकार तो बाद की बात है क्योंकि कार्यों से ही संबंधित वित्त एवं कर्मियों का प्रावधान होगा।

वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण (डी3) – जैसाकि पहले भी चर्चा की है, यह सूचकांक संयुक्त सूचकांक में सबसे ज्यादा 'स्कोर' लिए हुए है जिसका कारण यही है कि यदि वित्त ही नहीं होगा तो कार्यों का देना या न देना क्या महत्व रखता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्कोर मात्र 29.45 ही है। यदि सभी सूचनाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इस सूचकांक का 'स्कोर' सबसे कम है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कुल प्रस्तावित वित्तीय हस्तांतरण का मात्र एक तिहाई पंचायतों को हस्तांतरित हुआ है। राज्यों में देखें तो पाते हैं कि सूचकांक का सबसे अधिक 'स्कोर' महाराष्ट्र (55) में है। इसके बाद कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। सबसे कम 'स्कोर' पंजाब (17.37) में है जैसाकि तालिका दर्शाती है। केंद्रशासित प्रदेशों में वित्तीय संसाधनों की स्थिति दादर नागर हवेली में बड़ी दयनीय है क्योंकि यहां पर कुल उम्मीद का एक प्रतिशत भी हस्तांतरित नहीं हुआ है। सभी राज्यों में से मात्र 12 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर वित्तीय 'स्कोर' राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।

यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनाने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि ये संस्थाएं स्वयं भी वित्तीय संसाधनों को मुहैया कराएं। लेकिन यह स्थिति निराशाजनक है क्योंकि पंचायतों ने अपने स्तर पर भी अपने संसाधन जुटाने के प्रयास नहीं किए हैं।

कर्मियों का हस्तांतरण (डी4) – पंचायतों को अपने कार्यों का संपादन करने के लिए पर्याप्त कर्मियों का होना आवश्यक है। लेकिन यहां पर भी स्थिति निराशाजनक है। राष्ट्रीय–स्तर पर इस घटक का 'स्कोर' मात्र 37 है। अगर राज्यवार देखें तो इसकी

स्थिति कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा 'स्कोर' महाराष्ट्र (75.37) का है। इसके बाद केरल (68.55), कर्नाटक (63.13) राज्य आते हैं। अगर सभी राज्यों के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि कुल राज्यों में से मात्र 13 राज्य ही ऐसे हैं जिनका 'स्कोर' राष्ट्रीय–स्तर के स्कोर से ज्यादा है।

संयुक्त स्कोर के डी2, डी3 एवं डी4 घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तीनों घटक कार्यों, वित्त एवं कर्मियों के हस्तांतरण को राज्य–स्तर से पंचायतों को दर्शाते हैं। लेकिन इन तीनों की स्थिति बड़ी निराशाजनक है जिसके कारण संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति ही दयनीय हो जाती है।

क्षमतावर्धन डी–5 – पंचायतों एवं पंचायतकर्मियों दोनों की क्षमतावर्धन जरूरी है क्योंकि यदि पंचायतों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं होगी तो वे कैसे कार्य करेंगी। दूसरे, यदि पंचायत प्रतिनिधियों को यही पता नहीं कि अमुक–अमुक कार्य कैसे करने हैं तो वे ज़मीनी स्तर पर क्या कार्य करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पाते हैं कि कुल प्रस्तावित क्षमतावर्धन का मात्र 49.33 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। राज्यवार देखें तो यहां पर प. बंगाल सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य आते हैं। तालिका–1 से स्पष्ट है कि सभी राज्यों में से मात्र 10 राज्यों में इस घटक का 'स्कोर' राष्ट्रीय स्तर स्कोर से अधिक है। केंद्रशासित प्रदेशों में इस घटक की स्थिति दयनीय है।

पंचायतों की क्षमता के संबंध में यहां पर यह बताना भी उचित होगा कि लगभग 28 प्रतिशत पंचायतों के पास अपने स्वयं के 'आफिस' की इमारत नहीं है और लगभग इतने ही प्रतिशत पंचायतों की इमारतों की मरम्मत होनी है। पंचायतों के पास कार्यालय के लिए अपनी इमारत न होने का अर्थ है कि पंचायती राज या तो सरपंच/प्रधान की अलमारी में है या फिर ग्राम सचिव के थैले में हैं। अगर पंचायतों का कार्यालय ही नहीं होगा तो कहां पंचायत की बैठक होगी व कहां ग्रामसभा होगी।

जवाबदेही (डी6) – उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। पंचायतों को सशक्त बनाने में एवं आम लोगों की इन संस्थाओं में भागीदारी व विश्वास बढ़ाने के लिए ग्रामसभाओं की बैठक प्रभावी रूप से होनी जरूरी है। लेकिन यहां पर भी स्थिति निराशाजनक है जैसाकि तालिका दर्शाती है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय 'स्कोर' मात्र 43.33 प्रतिशत ही है। राज्यवार देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र (76.64) सबसे आगे है और बिहार (21.60) सबसे पीछे है। अन्य राज्य इन दोनों राज्यों के मध्य में हैं।

समग्र 'रैंक' (डी) – तालिका में 'डी' समग्र 'रैंक' को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र 'रैंक' का स्कोर 38.52 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल हस्तांतरित उम्मीद का 40 प्रतिशत भी हस्तांतरित नहीं हुआ है। स्थिति बड़ी निराशाजनक है। सभी राज्यों को एक साथ रखकर देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र (64.04) सबसे आगे एवं झारखंड (27.25) सबसे पीछे है। पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा सबसे आगे एवं अरुणाचल प्रदेश सबसे पीछे है।

संयुक्त सूचकांक को ध्यान में रखकर देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र सभी सूचकांकों में सतत रूप से अच्छा प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र के अग्रणी होने के पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अधिनियमों ने यहां पर पंचायतों को मजबूत आधार प्रदान किया है। विभिन्न राज्यों के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि कुल राज्यों में से 14 ने ही राष्ट्रीय–स्तर के 'स्कोर' से ज्यादा 'स्कोर' प्राप्त किया है। केंद्रशासित प्रदेशों के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि कोई भी केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय–स्तर के बराबर 'स्कोर' प्राप्त नहीं कर सका है।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि दो दशकों के बाद भी पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं नहीं बन सकी क्योंकि उनको सरकारों द्वारा वांछित अधिकार एवं शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकीं। इसका मुख्य कारण राजनैतिक इच्छा एवं नौकरशाही के सहयोग की कमी रहा है।

नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को सत्ता देने की बात तो कही लेकिन जब सरकार अस्तित्व में आई तो लोगों को सत्ता देने की बात गर्त में चली गई। उधर पंचायत प्रतिनिधि भी जागरूक नहीं हुए कि वे संगठित होकर पंचायतों को सशक्त बनाने की मांग सरकारों से करें। पंचायतों के वर्तमान स्तर पर हिंदी की यह कहावत कि 'घर बार सब तुम्हारा कोठी कुठले को हाथ न लगाना' से चरितार्थ होती है। अर्थात लोगों को 'पावर' देने की बात तो कही लेकिन अधिकार एवं शक्तियां उनको नहीं दी गई। जब उनके पास न अधिकार एवं शक्तियां हैं और न उनकी क्षमता है तो वे कैसे ग्रामीण योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कर सकती हैं। उपरोक्त अध्ययन से यही विदित होता है। सच तो यह है कि ज़मीनी स्तर पर नौकरशाही का बोलबाला है और पंचायतें मुख्यतः राज्य सरकारों की 'एजेंसी' की तरह कार्य कर रही हैं।

पंचायतें सशक्त हों, स्वायत्त हों इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि जो 30 लाख से अधिक हैं, उनको संगठित होकर राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार से अधिकारों की मांग करनी होगी।

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा से संबंधित हैं।)
ई–मेल : mpal1661@gmail.com)

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

डॉ. हिमांशु शेखर

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे-छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई हैं। अब तो संसद तक में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है, जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है। यह एक ऐसी मानसिक व्यवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली-भांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले हो, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सामान्य तौर पर निम्नांकित चार तत्वों को सम्मिलित किया जाता है :-

- संसद व विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत।
- प्रशासन एवं प्रबंधन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
- प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
- महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी और उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

भारतीय सामाजिक ढांचा समाज में पुरुष और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएं निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरुषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएं सौंपी गई हैं–वे हैं माता, पत्नी बनाम गृहिणी, रसोईया और बच्चों की देखभाल।

सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जाए। भारत के गांवों में बसने वाली अधिकांश महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिलाओं को प्रथमतः पंचायती स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरुआत वर्षों पहले हो गई थी। गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया। छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बाद महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया। देश के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 33 फीसदी थी लेकिन वे जीतकर आई करीब 38 फीसदी। इस कदम से महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा हकीकत में बदलती नजर आई।

73वें संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियां उन गांवों में मनाई गई, जहां पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में तो पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर–परिवार हो या खेत–खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केन्द्र सरकार की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याय के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिए जाने से स्थिति और बेहतर हुई। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में करीब 43 फीसदी तक महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

केन्द्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को ज़मीनी–स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि गांवों की तस्वीर बदलने लगे हैं। इससे जहां लोगों में जागरुकता आई हैं वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीति एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई हैं। अब तो संसद तक में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में 'स्वशासन की इकाई' की अवधारणा का उल्लेख एक सही कदम है। किन्तु ध्यान देने बात यह है कि 'इकाई' राजनीतिक के साथ–साथ आर्थिक भी है और इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इस संदर्भ में ग्रामसभा को एक 'कृषि औद्योगिक समुदाय' की संज्ञा दी जा सकती है। इसके क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु ग्रामीण जन के योगदान पर बल देना होगा। जी.बी.के.राव समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों में गांव के लोगों का स्वैच्छिक सहयोग स्वावलम्बन की दिशा में पहला कदम होगा। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नकद, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में आम जन का योगदान लगभग 100 करोड़

रुपये के बराबर अनुमानित किया गया था। बाद की योजनाओं में इस कार्य पर कम बल दिया गया। ध्यान रहे कि राज्यों के पंचायत अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि ग्रामसभा को इस जिम्मेदारी को निभाना है कि ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के श्रमदान हेतु लोगों को प्रेरित किया जाए। निःसंदेह इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर एक गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता होगी। सभी राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारिणी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। कुछ राज्यों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। केन्द्र सरकार ने भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में एक संशोधन द्वारा महिला हेतु आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन का विषय है कि इस आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव आम महिलाओं पर पड़ा है या नहीं। यह ज्ञात होता है कि ग्रामसभा की बैठकों में पुरुषों की तुलना में आम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। यह असमानता महिला सशक्तिरण की दृष्टि से एक गलत संदेश देती है। आज महिलाओं द्वारा गठित स्वयंसहायता समूहों का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। किन्तु यह अब तक साफ जाहिर नहीं होता है कि पंचायती राज संस्थाओं से इन समूहों का संबंध बन पाया है या नहीं। यदि ग्रामसभा के स्तर पर इन समूहों की महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तो ग्रामसभा में आम महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आम महिलाओं को स्वयंसहायता समूह बनाने की प्रेरणा मिलेगी और यह महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सराहनीय कदम होगा।

यह उल्लेखनीय है कि 2011 से केन्द्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय कुछ नए बिन्दुओं पर विचारमंथन कर रहा है, जिसे पंचायती राज प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा। इन बिन्दुओं में ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में तीन बातों पर विचार हो रहा है। पहला–बड़े आकार की पंचायतों में वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का भी प्रावधान रखा जाए, जिससे व्यापक रूप से मतदाताओं की भागीदारी होगी। ज्ञातव्य है कि पश्चिम बगांल, केरल और राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम में वार्डसभा का प्रावधान मौजूद है। दूसरा–ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। तीसरा–ग्रामसभा को नए अधिकार दिए जाएंगे जो संसद द्वारा पारित पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 में वर्णित हैं। इन अनुसूचित क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र आते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–244 के खण्ड (1) में निहित हैं। इन संशोधनों में भी क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को वैसी शक्ति मिल जाएगी जो कार्यपालिका संबंधी विकास कार्यों के लिए होती है। यह संविधान द्वारा बाध्यकारी है और इस प्रावधान से ग्रामसभा की भूमिका बढ़ जाएगी। इस नए प्रावधान से 73वें संविधान संशोधन में उल्लेखित पंचायतों के लिए 'स्वशासन की इकाई' शब्द का मूलरूप 'ग्रामसभा' में परिलक्षित होगा।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का इतिहास

- वर्ष 1946 में संविधान सभा के 150 सदस्यों में मात्र 16 महिलाओं को शामिल किया गया।
- 1961 में महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति एक्ट लागू हुआ। पूरे राज्य में दो महिलाओं ने नामांकन किया लेकिन वे चुनाव जीत नहीं पाई।
- 1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत एक्ट लागू हुआ और मात्र दो महिलाएं चुनी गई।
- 1983 में कर्नाटक में महिलाओं हेतु 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह एक्ट 1987 में लागू हुआ और इस एक्ट के तहत 1987 में हुए चुनाव में 30 हजार उम्मीदवारों ने नामांकन किया जिसमें 14 हजार महिलाएं चुनी गई।
- 1988 में करीब 22 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुआ। इस दौरान सिर्फ एक महिला चुनी गई।
- 1991 में उड़ीसा में पंचायत समिति में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 1992 में हुए चुनाव में 22 हजार महिलाएं चुनी गई। इस चुनाव में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 35 प्रतिशत तक पहुंच गई।
- 1994 में महिला आरक्षण लागू होने के बाद अकेले मध्य प्रदेश में 150500 महिलाएं जिला, प्रखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर चुनी गई। झारखंड में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद दिसबंर 2010 में हुए पंचायत चुनावों में जिला परिषद में 80 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का कब्जा है और पंचायत स्तर पर 55 प्रतिशत के लगभग ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। झारखंड में कुल पंचायतें 4,423 हैं। इसमें कुल 53,207 पंचायत प्रतिनिधि चुने गए। इसमें महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या 29,415 है।

पंचायत से संसद तक महिला सशक्तिकरण

पंचायत में महिलाओं को 33 और फिर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद अब संसद में भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार चल रहा है। पंचायत में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस तरह देखें तो

अगर पंचायत से यह शुरुआत न हुई होती तो यह कदम संसद तक पहुंच पाएगा, यह कहना मुमकिन नहीं था। वास्तव में विश्व–स्तर पर महिलाओं की 33 प्रतिशत संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र की बीजिंग में हुई चौथी विश्व महिला कांफ्रेंस में आई। इसमें कहा गया कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम से कम 33 प्रतिशत महिला भागीदारी होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की बात करें तो 1995 में सरकार ने 30 फीसदी महिला उम्मीदवार की प्रतिबद्धता का बिल पेश किया था, लेकिन विरोध हुआ। इसके बाद 12 सितम्बर, 1996 को लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल अधर में रह गया। इसके बाद 26 जून, 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेश किया। मई 2003 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी इस विधेयक को संसद में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 6 मई, 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा के बजाय राज्यसभा में पेश किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून, 2009 को 15वीं लोकसभा के अभिभाषण में सरकार की सौ दिनों की प्राथमिकताओं में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात कही।

ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं एवं पंचायती राज के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें व्यवस्थित होकर विभिन्न बाधाओं एवं चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा। इस हेतु कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं :–

- महिला प्रतिनिधियों को संगठित होकर इन संस्थाओं में काम करना चाहिए। इन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर मतभेद भुलाकर काम करना होगा। उन्हें लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
- निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरुषों की संतुलित भागीदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन अभियान चलाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को विश्व के अन्य देशों, जैसे–कनाडा, जर्मनी, नाइजीरिया एवं फिलीपींस की तरह स्वयं के दल बनाने चाहिए। इनका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना होना चाहिए।
- महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करने चाहिए, ताकि निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें।
- महिलाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, राजनीति में सक्रियता, अधिकारों के लिए विधानमंडलों एवं वैधानिक निकायों में सक्रियता, समानता के अवसरों को पाने की इच्छा एवं सामाजिक परिवर्तन की अति आवश्यकता है। इन सभी समन्वित प्रयासों से ही महिलाओं का राजनीति में सशक्तिकरण संभव है।
- पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता विशिष्ट कुशलता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण की मांग करती है। इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है ताकि महिलाएं वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को शीघ्रता से संभव बना सकें।
- राजनीतिक दलों को भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
- धन एवं शक्ति पर निर्भर निर्वाचन प्रणाली को भी बदला जाना चाहिए। चुनावों में जातिवाद, अपराधीकरण, मतदान केन्द्रों पर कब्जा आदि बुराईयों को दूर करना चाहिए।
- केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती हैं।
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिला सहभागिता अभियान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक प्रमुख भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए। विभिन्न गैर–सरकारी संगठन पंचायती राज में महिला सहभागिता के लिए समुदायों को शिक्षित एवं गतिशील कर सकते हैं।
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु उपर्युक्त सारे प्रयास एवं सुझाव तभी उपयोगी होंगे जब राजनीतिक उपायों से समुदायों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाएगा। ग्रामीण समुदायों के दिमाग में यह बात बिठाने की आवश्यकता है कि महिलाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस हेतु स्वयं महिलाओं एवं अन्य कट्टरपंथियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है।
- महिलाओं के राजनीति के क्षेत्र में सशक्तिकरण हेतु आवश्यक

है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों जो उनके लिए बनाई जा रही हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हों जो नीति–निर्माण व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

- महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है। कोई भी योजना तभी सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है।
- महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण हो, क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई विशेष राजस्व नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का भी अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक महिला सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

महिलाओं की भागीदारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में पूरे देश में महिला सरपंच 772677 थी, वहीं 2004 में उनकी संख्या 838245 तक पहुंच गई। इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38412 से 2004 में 47455 हो गई। जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 से वर्ष 2004 में 4923 तक पहुंच गई। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों पर सामान्य सीट पर भी महिलाएं कब्जा जमाने में सफल रही हैं। सरकार की ओर से पंचायत में मात्र 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यवार महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें तो केरल में सर्वाधिक 57.24 फीसदी महिला जनप्रतिनिधि हैं। इसी तरह आंध्रप्रदेश में 33.75 फीसदी, गुजरात में 49.30, कर्नाटक में 43.60, तमिलनाडु में 36.73, उत्तराचंल में 37.85 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 35.15 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है। इस तरह औसत भागीदारी करीब 40 फीसदी से अधिक है।

संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। आधी आबादी के मन में अभी भी संशय बना हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है अशिक्षा। जो पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित हैं वे तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। सरकार की ओर से भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जहां अभी तक शिक्षा का अभाव है वहां महिला पंचों की भागीदारी अभी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाके में अभी भी महिलाएं पर्दा प्रथा, रुढ़िवादिता आदि के जंजाल में जकड़ी हुई हैं। यही वजह है कि वे पंचायत की बैठकों में जाने से कतराती हैं। इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा।

जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्टांपपैड नहीं बनना होगा। बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पंचायत से जुड़े फैसले खुद करने होंगे। पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें। क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें।

जिन स्थानों पर महिलाएं अशिक्षित हैं वहां की महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो यह प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। गांवों में स्वतंत्र चेतना विकसित करने की जरूरत है। अब ग्राम विकास के सभी क्षेत्र पंचायतों के अधीन कर दिए गए हैं। सिर्फ इतने अधिकार मिल जाने से काम नहीं होगा बल्कि सहज ढंग से रास्ता तय करना होगा। सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसके लिए कौशल की जरूरत है। एक समझ की जरूरत है जिससे योजना तैयार की जा सके और उसे क्रियान्वित किया जा सके। अगर गांव में इसके लिए सही रास्ता तैयार नहीं किया तो पंचायती राज की वह संभावना नष्ट हो जाएगी, जो गांव के लिए सकारात्मक भूमिका लेकर आई है। इसलिए यह सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है। ग्राम पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए हर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पंचायती राज के गर्भ में कई संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके माध्यम से हम पूरे सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं बशर्ते हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। भारत का भविष्य सच्चे लोकतंत्र का भविष्य हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर तैयार रहना होगा। गांव के स्तर पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना होगा।

(एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सी.एम. कॉलेज, दरभंगा)
ई–मेल : himanshushekhar1957@gmail.com

पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी

डॉ. नीरज कुमार गौतम

'हमारे संविधान की मंशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ऐसा समाज बने जहां सामाजिक न्याय व आर्थिक तरक्की हो। यह काम महज परम्परागत, सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकता। विकास के लिए कायदे-कानून बनाना और योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना पहला कदम है लेकिन केवल कानून और योजनाएं बन जाने मात्र से भी बात पूरी नहीं होती। ग्रामसभा को पंचायत की राज्य व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। यह पंचायत के कार्य संचालन पर गहरा असर डालती है। यदि ग्रामसभा शक्तिशाली एवं सजीव होती है तो पंचायत भी अत्यंत कुशलता के साथ कार्य करती है।

पंचायती राज व्यवस्था में निहित मूल धारणा गांवों में निचले स्तर पर विकास से जुड़ी योजनाओं को मूर्त रूप देकर ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जिला प्रशासन, राज्य तथा केन्द्र सरकार का मुंह ताकने की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाना है, तथा निचले स्तर पर जनता का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करना एवं शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही संविधान की सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के सिद्धांत के अनुकूल पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केन्द्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई।

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उनमें व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्रामसभा कहते हैं। ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना अनिवार्य है। गांव की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक मजबूती और बेहतर पर्यावरण, गांव की शिक्षा और रोजगार आदि कार्यों को अधिक व्यापकता देने के लिए ग्रामसभा को अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 09 के अनुच्छेद 243(क) मे यह उपबंध है कि ग्रामसभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबंध करे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा गांव के आम लोगों, वंचित तबकों व महिलाओं को सत्ता में भागीदारी और नेतृत्व का संविधानिक अवसर मिला है। पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत स्थानीय स्तर पर सत्ता और विकास के कार्यों में गांव के लोगों के साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों को भागीदार बनाया गया है। इस व्यवस्था में न केवल चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार

दिए गए हैं बल्कि गांव के आम लोगों को भी खास जिम्मेदारी और शक्तियां दी गई हैं। गांव के लोग अब सत्ता, राजनीति एवं सभी तरह के कार्यों में बराबरी की भूमिका निभा सकते हैं। 'हमारे संविधान की मंशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ऐसा समाज बने जहां सामाजिक न्याय व आर्थिक तरक्की हो। यह काम परम्परागत, सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकता। विकास के लिए कायदे–कानून बनाना और योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना पहला कदम है लेकिन केवल कानून और योजनाएं बन जाने मात्र से बात पूरी नहीं होती। इस प्रकार के प्रयास उनके लिए सत्ता पाने का जरिया नहीं बन सकेंगे।

प्रत्येक पंचायत का दायित्व होता है कि वह वर्ष में कम से कम दो बार ग्रामसभा की बैठक बुलाए। ग्रामसभा की पहली बैठक में पंचायतों को लोगों के समक्ष इस बात की व्याख्या करनी होती है कि वह कौन–कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम अपने हाथ में ले रही है। ग्रामसभा की दूसरी बैठक में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और असफलताओं के कारण लोगों के समक्ष स्पष्ट करने होते हैं। ग्रामसभा बैठकें प्रत्येक वर्ष मई तथा अक्तूबर में आयोजित की जाती हैं। ग्रामसभा को पंचायत की राज्य व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। यह पंचायत के कार्य संचालन पर गहरा असर डालती है। यदि ग्रामसभा शक्तिशाली एवं सजीव होती है तो पंचायत भी अत्यंत कुशलता के साथ कार्य करती है। अतः ग्रामसभा को प्रभावी एवं शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए जिसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।

बलवंत राय मेहता समिति

वर्ष 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सांगठनिक तौर पर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और विकास के कार्यों में इनकी सक्षम भागीदारी बढ़ाने पर काफी बल दिया गया। इन्हीं लक्ष्यों को कार्य रूप में ढालने के उद्देश्य से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की।

- इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत।
- समिति ने इसको स्थापित करने के साथ सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल इकाई प्रखण्ड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। इस समिति ने गांवों के समूह के लिए प्रत्यक्षः निर्वाचित पंचायतों, खण्ड स्तर पर निर्वाचित व नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिसर गठित करने का सुझाव दिया।
- इन संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां तथा उत्तरदायित्व प्रदान करने की सिफारिश।
- इन संस्थानों को पर्याप्त साधन प्रदान करने की अनुशंसा ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को भली–भांति निभा सके।
- सभी आर्थिक–सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से संचालित करने का सुझाव।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का भी सुझाव।

पंचायती राज संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेदों 243 से 243 ग को जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान कर पंचायत के गठन, पंचायतों के सदस्य का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। पंचायत व्यवस्था के संबंध में भाग 9 के अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।

- पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्रामसभा होनी चाहिए, इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्रामसभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमण्डल द्वारा कानून बनाया जाएगा।
- जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें द्वि–स्तरीय पंचायत अर्थात जिला स्तर और गांव स्तर पर गठन किया जाएगा और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज अर्थात गांव, मध्यवर्तीय तथा जिला स्तर पर पंचायत की स्थापना की जाएगी।
- सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष किया जाएगा। गांव–स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
- पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा लेकिन इनका विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। परन्तु विघटन की दशा में 6 माह के अन्दर चुनाव कराना आवश्यक होगा।
- पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए प्रति 5 वर्ष वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पंचायतों को प्राप्त होने वाली शक्तियां और उन्हें प्रदान किए गए उत्तरदायित्व का वर्णन संविधान

की 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस सूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्यक्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए कार्यों का निर्धारण निम्नलिखित है – कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक वनोद्योग एवं फर्म वनोद्योग, लघु उद्योग, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग, सड़कें एवं पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं विद्युत वितरण, गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कमजोर वर्गों का कल्याण, मत्स्य उद्योग, लघु वन उत्पाद, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, पुस्तकालय, बाजार और मेले, परिवार कल्याण।

पंचायतों के नए कानून के अनुसार अब गांव के विकास और गांव वालों की तरक्की के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी उनमें ग्रामसभा के माध्यम से सभी लोगों की भागीदारी भी जरूरी होगी। सभी की सहमति से गांव विकास की सही दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि ग्राम पंचायतें और ग्रामसभा अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। ग्राम पंचायत को निम्न बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है :–

- ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की बैठकें नियमित रूप से समय पर होनी चाहिए।
- ग्रामसभा में ग्रामवासियों की पर्याप्त उपस्थिति और भागीदारी हो तथा यथासंभव आम सहमति से निर्णय लिए जाएं।
- ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा की हर कार्यवाही/अभिलेख ग्रामवासियों के अवलोकन के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 243(क) के अनुसार ग्रामसभा एक संवैधानिक निकाय है। प्रत्येक गांव में ग्रामसभा होनी चाहिए। गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्रामसभा के सदस्य होते हैं।
- गांव में उपलब्ध प्राकृतिक सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध ग्रामसभा के निर्णय के आधार पर किया जाए।
- ग्रामसभा क्षेत्र में कराए गए निर्माण एवं विकास कार्यों का सोशल ऑडिट ग्रामसभा की बैठक में हो।
- हितग्राही मूलक योजनांतर्गत पात्र हितग्राही के चयन का अधिकार ग्रामसभा को हो।

मंडल पंचायत व ग्राम स्वराज अधिनियम – केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 73 वें संविधान संशोधन के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु मंडल पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है जिसमें मई 2009 में विभिन्न राज्य सरकारों को क्रियान्वयन हेतु आग्रह किया गया। प्रारूप की विशेषताएं निम्नवत हैं:

- पंचायत के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करना।
- 3 एफ फंड फंकशन के विकेन्द्रीकरण पर कार्यवाही।
- ग्रामसभा की केन्द्रीय भूमिका के जरिए पंचायतों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, सोशल लेखांकन व लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करना।
- राज्य चुनाव आयोग व राज्य वित्त आयोग के लिए आदर्श ढांचा उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण नीतियां जन्म, मृत्यु, आवास, प्रमाणपत्र से जुड़े हुए मुद्दे से संबंधित विनियामकीय शक्तियों से पंचायतों को लैस करना।
- पंचायत वित्त योजना बजट एवं स्व–संसाधनों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या।

पंचायत सशक्तिकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना – पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकारों के अनुच्छेद 243 जी के तहत उसकी 11वीं अनुसूची के साथ संगठित, संवैधानिक अनौपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पंचायतों के वास्ते कार्य, कोष और पदाधिकारी विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है (क) राज्यों को अंतरण पंचायतों के लिए दिए जाने हेतु प्रोत्साहित करना। (ख) पंचायतों को अपनी कार्यकारिणी को पारदर्शी एवं कुशल बनाने के लिए जवाबदेही तंत्र की संस्थापना करने हेतु पंचायतों को प्रोत्साहित करना।

इस संबंध में राज्यों के निष्पादन को एक हस्तांतरण सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। राज्यों को एक टोकन पुरस्कार भी दिया जाता है। वित्तवर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 के दौरान पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही पुरस्कार योजना के तहत 17 राज्यों को 30 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। वर्ष 2010–11 की हस्तांतरण सूचना पंचायती राज मंत्रालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन की सहायता से तैयार की थी।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी – संविधान की धारा 243 डी में शामिल प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के अध्यक्षों का एक तिहाई हिस्सा और संविधान के भाग 9 द्वारा शामिल पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के अध्ययनों के एक तिहाई कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

- आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए वैधानिक प्रावधान किए हैं।

- केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 को पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने को मंजूरी को प्रदान की। यह विधिक 110 संविधान संशोधन के रूप में 25 नवम्बर, 2009 को प्रस्तुत किया गया।
- पंचायत ने महिलाओं के लिए वर्तमान में एक तिहाई आरक्षण को बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा और समिति ने इस संबंध में आवश्यक सुझाव दिए हैं।
- पंचायत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2010 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सर्वाधिक अनुपात कर्नाटक (43.19 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (42.99 प्रतिशत) में था।
- वर्ष 2010 तक जिन राज्यों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान (जैसे कि म0प्र0 और छत्तीसगढ़) के साथ पंचायत चुनाव हुए, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात 52 प्रतिशत है।
- वर्ष 2010 में महिला प्रतिनिधियों का न्यूनतम अनुपात 33 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र में था।
- वर्तमान में 6 प्रतिशत महिला निर्वाचित प्रतिनिधि अनारक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- उल्लेखनीय है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार में वर्ष 2005 में की गई थी। इसके पश्चात क्रमशः छत्तीसगढ़, मणिपुर, म0प्र0, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी यह व्यवस्था की गई।
- वर्तमान में लगभग 20 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में 10 लाख के आसपास महिलाएं हैं। महिलाओं की पंचायत में बढ़ती हुई भागीदारी को पहचानते हुए पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व तथा कार्य निष्पादन को और बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान को वर्ष 2007–08 से क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के दो अंग हैं। पंचायत महिला शक्ति अभियान, पंचायत युवा शक्ति अभियान।

ग्रामसभा वर्ष – भारत सरकार ने वर्ष 1999 –2000 को 'ग्रामसभा' वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह मान्यता है कि ग्रामसभा सहभागितापूर्ण प्रजातंत्र और विकेन्द्रीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त संस्था है। 17 मार्च, 1999 को सभी मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों से अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामसभा वर्ष के दौरान निम्नलिखित सात सूत्रीय न्यूनतम पैकेज के अनुरूप ग्रामसभा को शक्तिशाली बनाने के उपाय करें।

- ग्रामसभा और ग्राम पंचायत के बीच वही संबंध हों जो विधायिका और सरकार के बीच हैं।
- पंचायत को ग्रामसभा के प्रति स्पष्टतः उत्तरदायी होना चाहिए।
- पंचायत के सदस्य केवल तभी तक पदासीन रह सकते हैं जब तक उन्हें ग्रामसभा का विश्वास प्राप्त है।
- ग्रामसभा के पास गांव में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने और बजट का अनुमोदन करने की पूरी शक्तियां होनी चाहिए। गांव में कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के लिए ग्रामसभा का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए। व्यय के प्रमाणीकरण और वित्तीय लेन–देन में स्वामित्व अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और ग्रामसभा इसके लिए उत्तरदायी है।
- किसी भी प्राधिकरण द्वारा भूमि, जल, वन सहित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्रामसभा की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अर्जन करने और अन्य रूपों में भूमि हस्तांतरण से पहले ग्रामसभा के साथ परामर्श को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- ग्रामसभा को नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामले जिसमें उनका निर्माण, विक्रय, परिवहन और मादक द्रव्य उपयोग शामिल हैं, का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए और यदि ग्रामसभा चाहे तो इसे पूर्ण प्रतिबंध करने का भी अधिकार होना चाहिए।
- उपयुक्त प्रावधान करके महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की ग्रामसभा में भागीदारी अनिवार्य बनाई जानी चाहिए ताकि ग्रामसभा की बैठक में उनका फोरम हो।
- ग्रामसभा के पास नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए निर्णय लेने की शक्तियों सहित अपने कार्य निष्पादन के लिए स्वयं प्रक्रिया बनाने की शक्तियां होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी नियम एवं विनियम उसके लिए दिशा–निर्देश माने जाने चाहिए।

ग्रामसभा का सशक्तिकरण – परियोजना ग्रामसभा के माध्यम से कार्य करती है। परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था के रूप में ग्रामसभा को चुनने का उद्देश्य यह है कि ग्रामसभा ही निचले स्तर पर एकमात्र स्थायी और सशक्त संस्था है। इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अपने अधिकारों के प्रति सजग ग्रामसभा अजीविका से जुड़े सभी मुद्दों पर सर्वसहमति से विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती है। इसमें वास्तविक

हितग्राहियों का चुनाव, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन और सामुदायिक विकास के लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण करने जैसे मुख्य मुद्दे शामिल हैं। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामसभा सशक्त बने। सशक्त और जागरूक ग्रामसभा समता के अधिकार पर संसाधनों का नियोजन एवं लाभ का वितरण कर सकती है। अतः चयनित ग्रामों में ग्रामसभा सशक्तिकरण के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायतों को चाहिए कि वे कानून से मिले अधिकारों के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र के गांवों के विकास तथा ग्रामीणों की भलाई के लिए इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संचालित करें।

ग्राम पंचायत भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें सरपंच कक्ष, उपसरपंच कक्ष, सचिव कक्ष और महिला पंचों के लिए अलग से कक्ष हो। पंचायत भवन में सभा कक्ष और पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय हों तथा पंचायत भवन परिसर में पीने के साफ पानी का इंतजाम परिसर में हो या दो छायादार वृक्ष हों तथा पंचायत भवन में स्वच्छता और साफ–सफाई की नियमित रूप से व्यवस्था हो एवं पंचायत भवन में ई–पंचायत व्यवस्था के लिए एक कम्प्यूटर कक्ष इंटरनेट सुविधा सहित बनाया जाए।

ग्रामसभा के प्रमुख कार्य – विभिन्न राज्यों में ग्रामसभा के निम्न कार्य प्रमुख रूप से निर्धारित किए गए हैं–

- ग्रामीण विकास से संबंधित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- ग्राम पंचायत के सालाना लेखा–जोखा के बारे में चर्चा करना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर गहन विचार–विमर्श करना।
- ग्राम पंचायत में पिछले वर्ष क्या विकास कार्य किया गया है और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों पर विचार करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा आगामी प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों पर विचार करना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वालों की पहचान करना।
- ग्रामीण शिक्षा, परिवार कल्याण, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों इत्यादि में सहयोग देना।
- ग्रामीण समाज में भाईचारा, एकता और सौहार्द बढ़ाना।
- सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, सरकारी विकास कार्यक्रमों, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गांव की जरूरत के अनुसार निर्धारित करना।
- ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाना।
- ग्राम–स्तर पर विकास कार्यक्रमों की देखरेख, जांच–पड़ताल के लिए ग्रामसभा को ही निगरानी समिति के गठन का अधिकार है। ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होगा। निगरानी समिति का प्रतिवेदन ग्रामसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में ग्रामसभा की बैठक का संचालन नियम 5 में बताया गया है कि ग्रामसभा की प्रत्येक बैठक में कार्यवाही का क्रम इस प्रकार होगाः
- सरपंच द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी।
- पिछली बैठक में की गई चर्चा पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ी जाएगी।
- पिछली बैठक के बाद ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को बताया जाएगा।
- ग्रामसभा के सदस्यों के प्रश्न और प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे।
- आमदनी और खर्च के विवरण को पढ़ा जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए गए बजट पर विचार तथा विकास की भावी योजनाओं का अनुमोदन किया जाएगा।

ई–पंचायत – देश की 2 लाख 35 हजार ग्राम पंचायतों, 694 मध्यवर्तीय पंचायतों तथा 633 जिला पंचायतों में शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने सभी पंचायतों को ई–सक्षम बनाने के लिए ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना नामक एक परियोजना प्रारंभ की है जो इसके कार्य को और अधिक कुशल व पारदर्शी बनाने तथा आईटी के विकास के जरिए शुरुआत से ही इन्हें स्वसाधन की आधुनिक संस्थाओं के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है ताकि ये आधुनिकता की प्रतीक बन सके।

- परियोजना का योजना आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन अगस्त 2007 में किया गया। ई–पंचायत एमएमपी के तहत 11 करोड़ आम साफ्टवेयर अनुप्रयोग की योजना है।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली आई.एस. के अलावा एरिया प्रोफाईलर, सर्विस प्लस, आसेट डायरेक्टरी, एक्सशन साफ्ट,

सामाजिक अंकेक्षण तथा प्रबंधन प्रशिक्षण जैसे अनुप्रयोगों की शुरुआत अप्रैल 2012 में पंचायत दिवस के अवसर पर की गई।

- 65 हजार से अधिक पंचायतें पीआरआईए सोफ्ट का प्रयोग कर रही हैं जबकि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों तथा लाईन विभाग की 75 हजार से ज्यादा योजनाएं प्लान प्लस अनुप्रयोग पर ऑनलाईन उपलब्ध हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

ई–पंचायत योजनाओं के उद्देश्य

- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को अधिदेशित सेवाओं की बेहतर प्रदायगी में पंचायतों को सक्षम बनाना।
- पंचायतों की पारदर्शिता, नागरिकों को सेवाओं के प्रकटन और सामाजिक परीक्षण के साधन के रूप में आईटी का उपयोग करने में सक्षम बनाना।
- पंचायतों में आन्तरिक प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करना।
- पीआरआई को पंचायतों को भेजी जाने वाली निधि की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग तथा ट्रैकिंग के लिए आईटी का उपयोग करने में सक्षम बनाने सहित विधि के तीव्र बैंक अन्तरण आदि को सुनिश्चित करना।

ई–पंचायत के लक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, पारदर्शिता, नागरिकों की सूचनाओं का प्रगटीकरण, सामाजिक अंकेक्षण उपकरण के रूप में, नागरिकों को सेवाओं के बेहतर प्रारूपों को समन्वित रूप से मुहैया कराने वाले माध्यम के रूप में, आन्तरिक प्रबंधन व दक्षता सुधार माध्यम के रूप में, जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के क्षमता निर्माण में, ई–खरीद माध्यम के रूप में, पंचायतों की निर्णय समर्थन प्रणालियों के रूप में।

ई–पंचायत शासन

इस परियोजना का नेतृत्व केन्द्र द्वारा और कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जा रहा है। ई–पंचायत एमएमपी कार्यान्वयन के कार्यक्रम हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव है–

- केंद्रीय–स्तर निकाय–कार्यक्रम समीक्षा बोर्ड पीआरबी के नेतृत्व में।
- राज्य–स्तरीय निकाय– राज्य शीर्ष कार्यक्रम प्रबंधन समिति के नेतृत्व में।
- जिला–स्तरीय निकाय – जिला कार्यक्रम प्रबंधन समिति और इसका नेतृत्व जिले के सीईओ करेंगे।

ई–पंचायत द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

पंचायतों के लिए प्रविष्टि कोड राष्ट्रीय पंचायत निर्देशिका, पंचायतों की सामाजिक जनसांख्यिकी प्रोफाईल (क्षेत्र प्रोफाईल), ऑनलाईन परिसम्पत्ति के पंचायत के कीर्तिमान, पंचायत की तैयारी (प्लान प्लस), समन्वित जिला योजना की तैयारी के लिए अग्रणी योजनाएं, पंचायत लेखांकन (पीआरआईएएस साफ्ट), योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन और निगरानी (एक्शन साफ्ट), शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण, मांग प्रबंधन प्रशिक्षण, जीआईएस के द्वारा पंचायतों के संसाधनों का मानचित्रण, आम और सामान्य नागरिक केन्द्रीय सेवाएं (सेवा प्लस और राज विशिष्ट प्रयोग)।

पंचायत व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

- केरल में चल रही भूमि, आंध्रप्रदेश में चल रही एपी आनलाईन एवं कार्ड परियोजना, महाराष्ट्र में सरिता, तमिलनाडु में स्टार परियोजनाएं ई–प्रशासन की पहल पर चालू की गई हैं।
- म0प्र0 के धार जनजाति बाहुल्य जिले में चल रही परियोजना और हिमाचल प्रदेश की लोकमित्र, राजस्थान की ई–मित्र कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो नागरिकों को मंडी के भाव, जाति प्रमाणपत्र, जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र, बिजली, पानी, टेलीफोन, के भुगतान आदि की सुविधा प्रदान कर रही हैं।
- सार्वजनिक टेलीफोनों की सुगमता से कुल 62302 गांवों में 62088 गांवों को ग्रामीण टेलीफोन (बीपीटी) मुहैया कराए गए हैं।

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कि गांव में निवास कर रहे लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए जोकि ग्रामीण जनों की जनभागीदारी के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। समाज के सभी वर्गों का सहयोग पंचायती राज की सफलता के लिए आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों एवं अधिकारों को सही रूप से उपयोग करते हुए विकास मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भय, आशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि का उन्मूलन पंचायती राज के द्वारा विकास का मार्ग हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे से छोटे स्तर पर विकास कार्य की प्रगति देखी जा सकती है जिसमें ग्रामीण जनता का ध्यान सीधे ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं की ओर केन्द्रित करते हुए समस्याओं का समाधान भी ग्रामसभा के माध्यम से किया जा रहा है।

(अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय,
पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.) l)
ई–मेल : neeraj_gautam76@yahoo.co.in

ग्रामसभा: ज़मीनी लोकतंत्र का सशक्त आधार

संतोष कुमार सिंह

स्थानीय सरकार के महत्व को समझते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति नहीं चला सकते। वो तो नीचे हर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए, ताकि सत्ता के केंद्र बिंदु जो अभी दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े शहरों में है, मैं उसे भारत के सात लाख गांव में बांटना चाहूंगा। लोकतंत्र का सार वास्तव में विभिन्न वर्गों के लोगों के समस्त शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को सर्वकल्याण के लिए जुटाने की कला और विज्ञान है।"

पंचायती राज का विचार नया नहीं है बल्कि भारत में प्राचीनकाल से ही ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। यद्यपि समय के साथ-साथ इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। इतिहास से ज्ञात है कि प्राचीन समय में प्रत्येक भारतीय गांव में पंचायत होती थी, जो स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के अलावा राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थी। वेदों, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक 'अर्थशास्त्र' के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गांव में पंचायत होती थी जो अपने नियम, कायदे-कानून स्वयं बनाती थी। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम गांव में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान करते थे जिससे समाज के भीतर सामाजिक न्याय स्थापित हो सके।

हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्थानीय स्वशासन के महत्व पर बल देते हुए संविधान में उचित स्थान दिया है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।" इतना ही नहीं समय-समय पर अनेक समितियों और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया है। उनमें हैं-बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), जी. के. वी. राव समिति (1988), 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक(1989), 73 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक (1992), और 110वां संवैधानिक संशोधन विधेयक (2009)।

ग्रामसभा का गठन

विकास प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास योजनाओं के

नियोजन एवं क्रियान्वयन में शासन सत्ता की पहली इकाई ग्रामसभा है। अगर हम यूं कहे कि ग्रामसभा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हृदय है तो इस संदर्भ में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रामसभा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता अपने विकास के निर्णय स्वयं लेती है और अपने संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण करती है।

73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में भाग–9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद (243 – 243 ण तक) और एक अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची) जोड़ी गई। इस भाग में ग्राम पंचायत के गठन, उसके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि " ग्रामसभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेरित है।" सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि ग्रामसभा का मतलब है, गांवों में रहने वाला प्रत्येक पुरुष और महिला जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है व उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वे सभी ग्रामसभा के सदस्य होते हैं। यहां पर यह बताना भी उचित रहेगा कि ग्रामसभा और ग्राम पंचायत दो अलग–अलग संगठन हैं। ग्राम पंचायत का अर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था और ग्रामसभा का तात्पर्य संपूर्ण गांव से है। ग्रामसभा के सदस्य जिनकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, चुने जाने पर ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं।

अनुच्छेद 243 (क) के अनुसार "ग्रामसभा ग्राम–स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं।" अनुच्छेद 243 (ख) (1) के अनुसार, " प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा।"

अनुच्छेद 243(ख) (2) उपबंधित करता है कि " किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो।" कहने का अभिप्राय यह है कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनमें दो–स्तरीय पंचायत अर्थात् जिला और गांव स्तर का गठन किया जाएगा और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत अर्थात् गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ग्रामसभा में एक अध्यक्ष का प्रावधान है जो ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया कहलाता है। इसके साथ ही ग्रामसभा मे कुछ अन्य सदस्य भी होंगे। ग्रामसभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत (10 वार्ड सदस्य) 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि जिस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में संविधान का भाग 9 लागू है वहां नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं जिसमें झारखण्ड एक अपवाद है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 300 अधिकतम 1000 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 तथा 5000 से अधिक की आबादी पर राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्रामसभा का नाम रखा जाएगा।

ग्रामसभा की बैठक

ग्रामसभा की बैठक में निम्न बातों का प्रावधान होता है –

- ग्रामसभा की प्रतिवर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा की जाएगी। उसके उपस्थित न रहने पर उप प्रधान द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
- ग्रामसभा के बैठक के बारे में सूचना 15 दिन पूर्व सदस्यों को देनी होती है।
- ग्राम प्रधान किसी समय असामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है। जिला पंचायती राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्रामसभा के सदस्यों की मांग पर ग्राम प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जा सकती है।
- यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो विहित अधिकारी ए.डी.ओ पंचायत बैठक बुलाएगा। यह बैठक ग्राम प्रधान से मांग की गई तिथि से 60 दिनों के भीतर बुलानी होगी। वह यह बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी, जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है।
- ग्रामसभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है किन्तु यदि गणपूर्ति (कोरम) के अभाव के कारण बैठक न हो सके तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है।
- किसी विषय पर जिसका एक बार ग्रामसभा या ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किया गया हो, सम्बद्ध प्रस्ताव पारित करने के बाद आगामी 90 दिनों के अंतर्गत विचार किया जाएगा, यदि ग्रामसभा या ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य इस प्रभाव की अपेक्षा पर हस्ताक्षर

करके सम्मति न दे।

- ग्रामसभा की बैठक में ग्रामसभा के सदस्य, पंचायत सचिव एवं सम्बन्धित विभागों से जुड़े ग्राम–स्तरीय विकासखण्ड अधिकारी भाग लेंगे।

ग्रामसभा के कार्य/शक्तियां

ग्रामसभा के कार्य/शक्तियों का विवरण निम्नलिखित है–

- ग्रामसभा ग्राम के विकास के लिए प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करेगी।
- ग्राम पंचायत के साथ मिलकर योजना बनाना और उसे लागू करने में सहयोग देना।
- ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से सम्बन्धित प्रश्न पूछना जैसे –
- अमुक कार्य कब होगा और कब खत्म होगा। किसी भी निर्माण कार्य या योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामसभा द्वारा ग्राम पंचायत को सुझाव देना होगा।
- विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही लाभार्थी की पहचान ग्रामसभा द्वारा करना।
- ग्रामसभा द्वारा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, सरकारी विकास कार्यक्रमों, आय और व्यय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगना।
- ग्रामसभा द्वारा यह निगरानी रखना कि ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से हो रही है या नहीं।
- ग्रामसभा द्वारा ग्राम विकास के लिए श्रमदान करवाना और ग्राम विकास हेतु ईंधन जुटाने में मदद करना।
- ग्रामसभा द्वारा ग्राम पंचायत को नए वर्ष की कार्ययोजना निर्माण हेतु सुझाव देना।
- ग्रामसभा द्वारा ग्राम में संचालित प्रौढ़ शिक्षा व अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर खुली बहस का आयोजन करवाना।
- ग्रामसभा द्वारा गांव में समाज के सभी वर्गों में एकता और समन्वय में वृद्धि के उपाय पर चर्चा करवाना।
- आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए वार्षिक बजट का परीक्षण ग्रामसभा के माध्यम से किया जाना।

ग्रामसभा के सशक्तिकरण में समस्याएं

ग्रामसभा के सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिस कारण ग्रामसभा को जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर रही है। सरकार के पास ऐसी बहुत–सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसे गति देने के लिए चलाई जा रही हैं। किन्तु अभी तक इनसे इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं जिसके निम्न कारण हैं–

- ग्रामसभा की बैठक नियमित रूप सें नहीं होती हैं। साथ ही बैठक सम्बन्धी सूचना समय से जारी नहीं की जाती। इस कारण ग्रामीण जन ग्रामसभा की बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं।
- ग्रामसभा की बैठक कभी–कभी ऐसे समय आयोजित की जाती है जब लोग कृषि सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और कृषकों के लिए वह समय उपयुक्त नहीं रहता है।
- ग्रामसभा की बैठक के आयोजन के प्रति निष्क्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान प्रायः नहीं होता जो ग्रामसभा की समस्त जनता के एकत्र होने हेतु सुविधाजनक और सर्वमान्य हो।
- प्रायः एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक से अधिक गांव सम्मिलित होते हैं। अतः पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाली इस बैठक में पंचायत क्षेत्र के अन्य गांव के लिए अधिक दूरी की असुविधा के कारण उपस्थिति पाने में कठिनाई अनुभव होती है।
- गांव के नागरिक प्रायः ग्रामसभाओं को गंभीरता से नहीं लेते। ग्रामीण जनता की इस अरुचि का कारण यह है कि गांव के लोग यह अनुभव करते हैं कि सत्ता पक्ष ऐसी सभाओं में अनावश्यक रूप से छाया रहता है और लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिलता। पंचायत चुनाव में पराजित हुआ पक्ष प्रायः ऐसी बैठकों का सामूहिक बहिष्कार करते हुए देखा जाता है।
- प्रायः यह भी देखा गया है कि ग्राम पंचायत में चुनकर आए हुए सदस्य ग्रामसभा के आयोजन के प्रति इसलिए इच्छुक नहीं होते क्योंकि ऐसी बैठकों में ग्राम पंचायत के कार्य –कलापों और उसकी गतिविधियों के बारे मे न केवल प्रश्न किया जाता है बल्कि निर्वाचित प्रधान और सदस्यों से उनके उत्तर की अपेक्षा भी की जाती है। इस प्रकार के वातावरण से बचने के लिए पदासीन सदस्य सदैव तत्पर रहते हैं और इसके कारण ग्रामसभा के आयोजन की सूचना का उचित प्रचार–प्रसार इस अंतर्निहित अवरोध के कारण नहीं हो पाता है।
- अधिकांश ग्राम प्रधान ग्रामसभा की बैठक के प्रति उदासीन देखे जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण यह है कि गांव के विकास के लिए जो काम किए जाने चाहिए वे करवाते नहीं

हैं और उन्हें आलोचना का शिकार आम जनता से होना पड़ता है।

- ग्रामसभा के निर्वाचित सदस्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण वे अपने दलों का प्रचार–प्रसार ग्रामसभा के माध्यम से भी करते हैं। उनमें वे धन और बल का प्रयोग करते हुए भी देखे गए हैं। इस प्रकार ग्रामसभा का राजनीतिकरण हो रहा है।
- यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला ग्राम प्रधान है तो उसकी अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक में भाग लेना बहुत से लोग अपना अपमान समझते हैं। इस कारण ग्रामसभा की बैठक में कम उपस्थिति देखी जाती है।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को समय – समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु ग्रामसभा के सदस्यों के लिए सरकारी स्तर पर ऐसा किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है जिससे वे ग्रामसभा के महत्व को समझ सके।
- ग्रामसभा की बैठकों में संभ्रात लोगों का दबदबा देखा जाता है जिससे भ्रष्टाचार और भाई–भतीजेवाद जैसी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। फलस्वरूप ग्रामसभा के कार्यों पर आम लोगों का विश्वास उठ रहा है।

ग्रामसभा को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामसभा को सार्थक और प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसे सशक्त बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं–

- ग्रामसभा की बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों को दी जानी चाहिए तथा ग्रामसभा की बैठक के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इसके लिए समय–समय पर जनसभा, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, दूरदर्शन कार्यक्रम, आकाशवाणी कार्यक्रम आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिए, जिससे जनता में जागृति उत्पन्न होगी।
- ग्रामसभा की बैठकों में उपस्थित लोगों के लम्बे–चौड़े भाषणों के स्थान पर नागरिकों को पंचायत कार्यों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपस्थित ग्राम प्रधान और अन्य पंचों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को संतुष्ट करें।
- यदि ग्रामसभा की नियमित बैठक नहीं होगी तो ग्रामसभा का महत्व समाप्त हो जाएगा। ग्राम प्रधान के लिए भी वैधानिक रूप से यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि वह ग्रामसभा की बैठक मे उपस्थित रहे और यदि ग्रामसभा की लगातार तीन बैठकों में वह अनुपस्थित रहता है तो उसे ग्राम प्रधान पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

नियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि ग्रामसभा की बैठक आयोजित करना ग्राम प्रधान का प्राथमिक दायित्व है।

- ग्रामसभा की कार्यवाही जनता की भावनाओं के अनुरूप चलाई जानी चाहिए। ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे–गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का चयन, ऋण आवेदन–पत्र, पंचायत का बजट, पंचायतों के कार्यों का विवरण, योजनाओं की प्रगति, अनुदानों का उपयोग, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि पर ग्रामसभा में विचार–विमर्श होना चाहिए।
- ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का सम्बन्ध वैसा ही होना चाहिए जैसा विधायिका और सरकार का होता है। पंचायत को ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और ग्राम पंचायत सदस्यों को तभी तक अपने पद पर रहना चाहिए जब तक उन्हें ग्रामसभा का विश्वास प्राप्त हो।
- ग्रामसभा की बैठक में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारी भी उपस्थित होने चाहिए जिससे ग्रामसभा की बैठक को सक्रियता मिलेगी।
- ग्रामसभा की बैठक ऐसे समय बुलाई जानी चाहिए जिस समय कृषि कार्यों की व्यस्तता न हो ताकि कृषक वर्ग ग्रामसभा की बैठक में भाग ले सकें।
- अधिकांश ग्राम पंचायत का आकार बड़ा होता है। 8–10 गांवों की एक ग्रामसभा नहीं होनी चाहिए। गांव की अधिक दूरी के कारण बुजुर्ग, महिला, दिहाड़ी मजदूर आदि ग्रामसभा की बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं।
- पटवारी ग्रामीण जनता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है। ग्रामीणों की अधिकांश समस्याएं राजस्व विभाग से सम्बन्धित होती हैं। अतः पटवारी के लिए भी यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि वह ग्रामसभा की बैठकों में उपस्थित रहे। उसकी यह उपस्थिति जनता के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
- ग्रामसभा की बैठक का अचौक निरीक्षण किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इससे ग्रामसभा की बैठक में होने वाली कार्यों के प्रति सही स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- ग्रामसभा की बैठक में जो भी सुझाव और विचार प्रस्तुत किए जाए, उनका लिखित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए

तथा ग्राम पंचायत की अगली बैठक में उसे विचारार्थ रखा जाए। ग्रामसभा में उठाए गए मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने जो कार्यवाही की है उससे ग्रामसभा की अगली बैठक में अवगत कराया जाना चाहिए।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला वर्ग के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में भी ग्रामसभा की बैठकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे इस वर्ग के नेतृत्व को ग्रामीण समाज स्वीकार कर सके।

मूल्यांकन

ग्रामसभा वह एकमात्र माध्यम है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। वह गांवों के सभी नागरिकों को पंचायत की कार्यपालिका के प्रस्तावों पर विचार करने, उनकी आलोचना करने, उन्हें मंजूर या नामंजूर करने तथा पंचायत के विगत कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अनुपम अवसर प्रदान करता है। ग्रामसभा कितनी सशक्त हुई है उसकी पहचान हम कुछ उदाहरणों से कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा (2005) भारतीय इतिहास में नियोजित या कार्यान्वित पिछले किसी भी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हटकर एक आमूलचूल बदलाव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब, संवेदनशील और हाशिए के लोगों को आय और आजीविका सुरक्षा का एक स्थाई स्रोत उपलब्ध कराना है। यह संभवतः सार्वजनिक सुरक्षा और लोक निर्माण कार्यों पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी–विशाल एवं महात्वाकांक्षी परियोजना है। नरेगा की देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत–स्तर पर ग्रामसभा को सौंपी गई है। ग्रामसभा अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के माध्यम से नरेगा पर नियंत्रण और संतुलन बनाने का कार्य करती है। उपलब्ध धनराशि का समुचित सदुपयोग सुनिश्चित करने तथा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभिलेखों का अंकेक्षण किया जाता है जिससे मनरेगा में पारदर्शिता के साथ–साथ जवाबदेही भी बनी रहे। यह पारदर्शिता और जवाबदेही ही अनेक प्रकार की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है और श्रमिकों को उनका हक प्रदान करती है। मनरेगा अधिनियम यह आदेश देता है कि इस योजना के अन्तर्गत एक वित्त वर्ष में किए जाने वाले कामों का चयन और प्राथमिकीकरण ग्रामसभा द्वारा किया जाएगा। ग्रामसभा द्वारा काम का नियोजन और प्राथमिकीकरण हर गांव की विकास की जरूरतों को सुनिश्चित करता है और गांववालों की सक्रिय भागीदारी से इस पर अमल किया जाता है। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि काम का आवंटन इस तरह से किया जाए कि कुल काम का कम से कम 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा हो। ग्रामसभा कार्यस्थल पर किए गए कार्यों की मात्रा का निर्धारण और गुणवत्ता की भी जांच करती है।

ग्रामसभा के सशक्तिकरण का दूसरा रूप हमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून 2006 में देखने को मिलता है। मौजूदा कानून के अनुसार किसी वन संसाधन पर किसका अधिकार होगा, यह तय करने में ग्रामसभा की मुख्य भूमिका होगी। ग्रामसभा को इस कानून के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों तय करने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार दिया गया है। हर ग्राम पंचायत को ग्रामसभा से योजना, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत कोष का इस्तेमाल करने की मंजूरी लेनी होगी। न सिर्फ इतना ही बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र भूमि का अधिग्रहण करने और इस तरह की परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास से पहले ग्रामसभा या पंचायत से सलाह लिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में छोटे जल स्रोतों की योजना बनाने और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्रामसभा या पंचायत को दी गई है। ग्रामसभा और पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अनुसूचित क्षेत्र में छोटे खनिज उत्खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने या उसकी नीलामी करने की सिफारिश करें। उल्लेखनीय रूप से इस कानून में वनवासियों को ग्रामसभा के माध्यम से जैव विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता सम्बन्धी सामुदायिक वन संपदा के संरक्षण, पुनर्वधन, संवर्द्धन और प्रबंधन के अधिकार और इससे जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

वर्ष 1999–2000और 2009–2010 को ग्रामसभा वर्ष के रूप में मनाने की केन्द्र सरकार की मंशा यह रही कि स्वशासन की इकाई के रूप में ग्रामसभा और अधिक सुदृढ़ हो और मजबूती से स्थानीय स्वशासन और सुशासन की अवधारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर सकें। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सच्चे अर्थों में संभव हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और जनता जागरूक हो, उन्हें पंचायत की कार्यप्रणाली का पूर्ण ज्ञान हो। स्थानीय समस्याओं से निपटने व प्राथमिकता के आधार पर विकास का नियोजन, प्रबन्धन व उसका क्रियान्वयन करने में वे समर्थ हो क्योंकि जागरूक और सक्रिय समुदाय ही आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप ग्राम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

(लेखक राजनीति विज्ञान विभाग, अ.प्र.ब.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) में कार्यरत हैं)।

पंचायतों का बदलता स्वरूप

विकास कुमार सिन्हा

भारत
का विकास बिना गांवों के नहीं हो सकता
और गांवों के विकास में पंचायती राज संस्थाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के पीछे का उद्देश्य भी दुरुह,
बिहड़ और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास योजनाओं को पहुंचाना है।
साथ ही, संवदेनशील, कर्मठ और सामाजिक सरोकार के साथ समाज का निर्माण हो, यही
पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उद्देश्य रहा है। पंचायतों को सशक्त बनाने के
लिए भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायती राज
संस्थाओं को और अधिकार दिए।

स्वतंत्र भारत में विधायिका को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले तौर पर केंद्र को संचालित करने वाली सरकार यानी केंद्र सरकार; द्वितीय, राज्यों में संचालित होने वाली राज्य सरकारें और तीसरे तौर पर हम पंचायतों को कार्यपालिका का अभिन्न अंग मानते हैं। अगर देखा जाए, तो केंद्र एवं राज्य सरकारें जो भी विकास योजनाओं से संबंधित निर्णय लेती हैं, उसे अमलीजामा पहनाने का काम पंचायतें ही करती हैं। पंचायतों से ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी होती हैं। सरकार के निर्णयों का अक्षरक्षः पालन करने में भी पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कारण पंचायती राज सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। जिन राज्यों में पंचायतों का गठन अब तक नहीं किया गया है, उन राज्यों में विकास योजनाएं पूर्णतः नहीं पहुंच पाती।

हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश में रामराज को लाने के लिए पंचायतों के गठन पर जोर दिया था। बापू कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राष्ट्रपिता का यह कथन ग्रामसभा को सशक्त और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी सोच गांवों के विकास व अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की थी। भारत का विकास बिना गांवों के नहीं हो सकता और गांवों के विकास में पंचायती राज संस्थाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के पीछे का उद्देश्य भी दुरुह, बिहड़ और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास योजनाओं को पहुंचाना है। साथ ही, संवदेनशील, कर्मठ और सामाजिक सरोकार के साथ समाज का निर्माण हो, यही पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उद्देश्य रहा है। पंचायतों को

सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायती राज संस्थाओं को और भी अधिकार दिए।

73वां संविधान संशोधन और पंचायतें

देर से ही सही भारत सरकार ने पंचायतों को अधिकार और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया। इसका एकमात्र कारण गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का विकास करना था। भारत सरकार चाहती थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसके लिए संविधान का भी संशोधन किया गया। वर्ष 1993 में देश की संसद ने संविधान में 73वां और 74वां बदलाव करके जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने का मार्ग निकाला। संविधान में संशोधन कर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। साथ ही स्थानीय समुदायों को जनभागीदारी से जोड़ा गया। इसमें स्थानीय स्तर पर शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीणों की सहभागिता पर ग्राम विकास की योजनाएं बनाना, अपने गांव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गांव के लोगों को जिम्मेदारी का आभास कराना, ग्राम विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, नियोजन आदि से गांववालों को लाभान्वित कराना, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण "केन्द्र से स्थानीय स्तर तक" कराना, ग्रामसभा तथा पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करना है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद कई विशेषताएं भी निकल कर आई। इसमें नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार स्थानीय शासन की इकाइयों ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने की संभावनाएं हैं।

महिलाओं तथा गरीब तबकों को सशक्त करने की दिशा में यह संशोधन कारगर सिद्ध हो रहा है। संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासन को तीन स्तरों पर गांव, प्रखंड एवं जिला में विभाजित किया गया। पंचायत के तीनों स्तर की सभी जगहें सीधे चुनाव द्वारा भरी जाएंगी। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर तीनों स्तरों पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तक होगा और अवधि समाप्त होने के पहले नई पंचायत का चुनाव होना चाहिए। गांव में सब मतदाताओं को मिलाकर ग्रामसभा बनाई जाएगी और इसको भी संविधान के कानूनों में मान्यता होगी। अवधि समाप्ति से पहले विद्यमान किसी भी पंचायत को किसी धारा द्वारा बाहरी दखल से भंग नहीं किया जा सकेगा। हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन कार्यों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, भूमि सुधार, कुटीर उद्योग, लघु सिंचाई आदि के उद्देश्यों के मद्देनजर पंचायतों को ग्यारहवीं सूची के अन्तर्गत अधिकार दिए गए हैं। पंचायतों द्वारा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है, जो पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हर पांच साल बाद नए वित्त आयोग का पुर्नगठन होगा। पंचायत अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन मद भी प्राप्त करती रहेंगी।

पंचायतों का बदलता स्वरूप

संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को नयी शक्ति मिली और पंचायतें सशक्त होने लगीं। गांवों की सरकार सबल होने लगी। कानून बनने के बाद पचायतों में कई बदलाव आए, अब उन्हें विधिसम्मत कानून से जोड़ दिया गया। संविधान में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि देश में पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों पर गठित की जाएंगी। सबसे पहले गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होंगी, उसके बाद प्रखंड के स्तर पर पंचायत समितियां होंगी, तीसरे नंबर पर जिला–स्तर पर जिला परिषद होंगी। ये पंचायतें केंद्र द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को लागू करने वाली संस्थाएं नहीं होंगी, कुछ योजनाओं को छोड़कर खुद ही यह पंचायतें स्वयं विकास योजनाएं बनाएंगी। ग्राम पंचायतें अपने–अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं बनाएंगी। इन योजनाओं को प्रखंड के अधिकारियों की सहायता से गांवों में लागू किया जाएगा। साथ ही एक ही प्रखंड की सभी पंचायतों की विकास योजनाओं को आधार बनाकर क्षेत्र स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता

भारत में भले ही लोकसभा में महिला बिल लटका पड़ा हो, लेकिन पंचायतों में सरकार ने कानून बनाकर 33 फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले,इसके लिए भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1931 में महिला पदाधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलकर छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से चिंतन–मनन किया गया। आरक्षण मिलने से महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पंचायतों में दिखती है। पंचायतों और निकायों में यह लगभग 50 प्रतिशत के आसपास है। देश की कई राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी से 50 फीसदी तक बढ़ाया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए जाने के बाद देश में इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। मध्यप्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित कई प्रदेशों में महिला पंचायतों ने विकास की नई इबारत खड़ी की है। उनके द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को अन्य पंचायतों ने अमलीजामा पहनाया है। साथ ही, राज्य सरकार और भारत सरकार ने भी पंचायतों को पुरस्कृत किया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पंचायतें खुद–बखुद सशक्त हो रही हैं और महिलाएं उसमें अहम भूमिका भी निभा रही हैं।

पंचायती राज और विकास

देश में पंचायतों की कहानी काफी पुरानी है। प्राचीन भारत में पंचायतों का अभ्युदय और इसकी कई कहानियां मिलती हैं। प्रसिद्ध लेखक और कहानीकार प्रेमचंद्र की कहानी 'पंच परमेश्वर' में इसकी एक झलक मिलती है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि असली हिंदुस्तान गांवों में बसता है। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। देश आजाद होने के बाद पंचायतों को सशक्त करने के लिए कई एक्ट बने। लोगों का विकास हो, इसके लिए पंचायतों की नींव रखी गई।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को कारगर साबित करने में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जिस देश में छह माह ही किसानों के पास प्रत्यक्ष रोजगार होता हो, उसमें मनरेगा ने यह कहावत ही बदल कर रख दी है। राजस्थान जैसे प्रदेशों में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। झारखंड जैसे प्रदेश में महिलाएं पंचायतों में कई काम कर रही हैं। खुद स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कर आम लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं। कई गांवों में बड़े–बड़े कूप का निर्माण किए जाने के बाद किसान पलायन को विवश नहीं हैं। लोगों को खुद अपनी पंचायतों में ही काम मिल रहा है। देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना को जोड़ने में भी पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कुछ ही वर्षों में देश के सभी गांवों के घर रोशन हो जाएंगे। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लोगों का बीमा कराने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में पंचायतें अपनी भूमिका निभा रही हैं। सरकार की कई योजनाओं से सीधे पंचायतों का विकास हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी पंचायतों पर केंद्रित योजनाएं बना रही है, जिससे लोगों का विकास हो सके। पंचायतों के विकास से ही अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, सरकार भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है और पंचायतें भी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : bikashsinha5@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता जरूरी

डॉ. सुधीश कुमार पटेल

ग्रामसभा किसी पंचायत क्षेत्र की आमसभा का वह सशक्त मंच है जो अपने क्षेत्र की तकदीर एवं तस्वीर दोनों ही बदल सकती है। ग्रामसभाओं की सक्रियता से ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के कार्य ईमानदारी और निष्ठा से कर सकती हैं। ग्रामवासियों को ग्रामसभा का महत्व, कार्य और अधिकारों को समझना होगा, क्योंकि ग्रामसभा की बैठक चर्चा एवं आलोचना का ऐसा मंच है जहां पर सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है। ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार एवं सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा के निर्देशों का भली-भांति पालन होना चाहिए।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतें अधिक सशक्त एवं क्षमताशील हो इसके लिए सभी मतदाताओं को मिलाकर ग्रामसभा का गठन किया जाता है। कम से कम 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत और ग्रामसभा का गठन होता है। जब न्यूनतम जनसंख्या की पूर्ति न हो तो दो गांवों को मिलाकर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ग्रामसभा अपनी शक्तियों के साथ ग्राम विकास, आय–व्यय की निगरानी का अधिकार तथा मार्गदर्शन करती है।

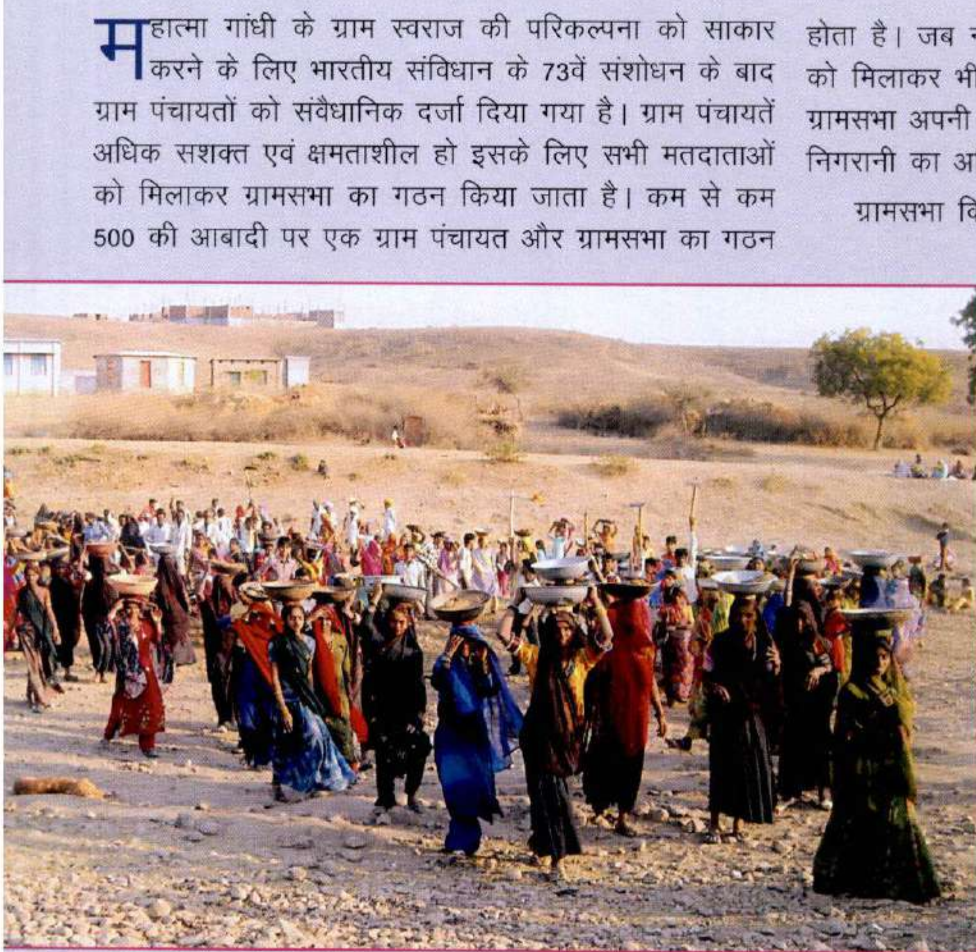

ग्रामसभा किसी पंचायत क्षेत्र की आमसभा का वह सशक्त मंच है जो अपने क्षेत्र की तकदीर एवं तस्वीर दोनों ही बदल सकती है। ग्रामसभा की अवधारणा एक ऐसे संस्थागत मंच के रूप में की गई है जिसमें ग्रामसभा का अध्यक्ष (सरपंच/प्रधान) सीधे ग्रामीणों के द्वारा ही चुना जाता है जबकि जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्रामीणों की ओर से चुने हुए सदस्य करते हैं। आज ग्राम पंचायत चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है और पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव रुझान पर देश के तमाम राजनीतिक दल ग्रामीण मनोस्थिति का आकलन करते हैं।

सरकार की ओर से योजनाएं चाहे जो

चलाई जाएं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायत की ही होती है। ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल में पोषाहार, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति वितरण के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, सतत शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि की निगरानी भी सरपंच करता है। ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वंचित वर्ग के अभिभावकों को प्रेरित करके, गांव में चेतना जाग्रत करके सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी कर सकती है। गांव में कानून व्यवस्था बनाने के लिए ग्राम पंचायत समिति का गठन किया जाता है। गांव में होने वाले विवादों को समझाइश से समिति निस्तारित करती है। इन्दिरा आवास योजना का प्रस्ताव ग्रामसभा में पास करके वरीयता के आधार पर जरूरतमंद हितग्राही को आवास के लिए धन ग्राम पंचायत उपलब्ध करा सकती है। ग्रामसभा में प्रस्ताव पास कर गांव में नालियों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, विद्युतीकरण, आपदाओं से निपटने एवं त्वरित सहायता की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।

महात्मा गांधी नरेगा लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत हुई है। ग्रामीणों का पलायन रोकने और गांव में रोजगार मुहैया कराने की चुनौती ग्राम पंचायतों की है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य का प्रस्ताव ग्रामसभा तैयार करती है। जॉबकार्ड जारी करने, आवेदकों के बीच रोजगार बांटने, कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं, मजदूरी भुगतान, लेखा परीक्षा आदि की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है। महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट ग्राम पंचायत से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक अपडेट की जाती है।

पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता और ग्राम विकास के निर्णयक अधिकार ग्रामसभा को सौंप तो दिए गए हैं किन्तु ये अधिकार पंचायत की नौकरशाही के हाथों में ही सिमटकर रह गए हैं। विकेन्द्रीकरण व स्थानीय स्वशासन के तमाम दबावों के बावजूद गांवों की स्थिति संवरती हुई नजर नहीं आ रही है। ग्राम पंचायत सचिव से लेकर जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच टकराव की कई घटनाएं देशभर से सुर्खियों में आती रही हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही लूटने के बावजूद, पंचायती राज अभी देश के अपने ही ग्रामवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों को आंदोलित नहीं कर पाया है। ग्राम पंचायतें मूल परिकल्पना से उलट विकृत एवं दिग्भ्रमित संसदीय लोकतंत्र का विरूपित ढांचा बन गई हैं। उन अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति तो और भी दयनीय है जहां पंचायती राज विस्तार के लिए अलग से कानून बनाया गया है।

ग्रामसभा के कामकाज के बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। ग्रामसभा के क्या कार्य व अधिकार हैं, ग्राम पंचायत ग्रामसभा के साथ कैसे कार्य करेगी, ग्रामसभा की बैठक में किस तरह के प्रस्ताव रखे जाएं। ग्रामसभा सदस्य के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं आदि की जानकारी का अभाव, उत्तरदायित्व व निर्णय प्रक्रिया से ग्रामसभा के सदस्य हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं। ग्रामसभा के सशक्तिकरण में सरकारी प्रयास भी सराहनीय नहीं रहे है। पंच–सरपंच को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन ग्रामसभा सदस्यों को किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। वास्तव में गांव के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में निर्णय भी ग्रामसभा द्वारा लिए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ग्राम हितों की सौदेबाजी हो सकती है।

कई ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि ग्रामसभा की व्यापक सक्रियता के अभाव में पंचायत सचिव के जोड़–तोड़ ने जल–जंगल–जमीन के मुद्दों पर ऐसी सौदेबाजी कर ली, जिसके लिये ग्रामसभा की सहमति और विस्तृत चर्चा करना तो हर हालत में आवश्यक था। यदि ऐसी प्रवृत्तियां जोर पकड़ती रही तो ग्रामसभा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ग्रामीणों की निरक्षरता, स्वस्थ राजनैतिक चेतना का अभाव, संकीर्ण राजनैतिक गुटबंदी, साम्प्रदायिक सद्भाव का अभाव, स्वार्थपूर्ण नेतृत्व आदि ने पंचायती राज आंदोलन को बहुत आघात पहुंचाया है।

ग्राम पंचायतों को विकेन्द्रीकृत जमीनी जनतंत्र के सशक्त रूप में स्थापित किया गया है। स्वशासन को प्रोत्साहित करने वाली जनसहभागिता इकाई ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोकतंत्र को ग्राम स्तर पर दृढ़ करने के लिए ग्रामसभा को मजबूत करना जरूरी है, किन्तु अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की बैठक तक ठीक से निर्धारित समय पर नहीं होती है। ग्राम पंचायत से जुड़े लोग अपने समर्थकों को बुलाकर ग्रामसभा की औपचारिकता को पूरा कर लेते हैं या रजिस्टर घर–घर घुमाकर हस्ताक्षर या अंगूठा लगवा लेते हैं और ग्रामसभा में उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। ग्रामसभा की बैठकें रस्म अदायगी के तौर पर कागजों में काम करने लगी हैं। ग्रामसभा ग्रामीणों के सशक्तिकरण का वह साधन अभी तक नहीं बन सकी है जैसाकि पंचायती राज से अपेक्षा थी।

विश्व में कहीं भी ग्राम स्वराज की बात होती है वहां त्रि–स्तरीय भारतीय पंचायती राज को विशेष महत्व दिया जाता है। ग्राम पंचायतें कम्प्यूटर एवं आधुनिक संचार तंत्र इंटरनेट की ऑन लाइन गवर्नेंस (ई–गवर्नेंस) सुविधाओं से लैस हो रही हैं। आज देश की 72.2 प्रतिशत आबादी लगभग 2.35 लाख ग्राम

पंचायतों के माध्यम से ग्रामसभाओं से जुड़ी हुई है। ग्रामीण स्वशासन का इतना बड़ा तंत्र और किसी देश में नहीं है। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास राज्य संस्थानों और संवैधानिक निकायों जैसे राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग आदि सभी राज्यों में अब बेहतर रूप से स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य चुनाव आयोगों ने ग्राम पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेते हुए ग्राम–स्तर पर जनतांत्रिक प्रक्रिया को काफी हद तक विश्वसनीय बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मई, 2002 के आदेश के आधार पर राज्य चुनाव आयुक्तों को ग्राम पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास, संपत्तियों और दायित्वों की सूचना हासिल करने का अधिकार दिया है। ग्रामसभा रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, आर्थिक–सामाजिक भेदभाव भुलाकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की सक्रिय भागीदारी के सशक्त रूप में जनशक्ति का प्रतीक नहीं बन पाई हैं।

ग्रामसभाओं की सक्रियता से ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के कार्य ईमानदारी और निष्ठा से कर सकती हैं। ग्रामवासियों को ग्रामसभा का महत्व, कार्य और अधिकारों को समझना होगा, क्योंकि ग्रामसभा की बैठक चर्चा एवं आलोचना का ऐसा मंच है जहां पर सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है। ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा के निर्देशों का भली–भांति पालन होना चाहिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता व जुझारू पंच–सरपंच ज़मीनी स्तर पर इस खुर्द–बुर्द व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनकी शिकायतों पर सरकार तुरंत ध्यान दे। केवल सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी मांगने पर छाया प्रति देना पर्याप्त नहीं है। ईमानदार सरपंच, अवकाश प्राप्त अधिकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर पंचायती राज को भ्रष्टाचारमुक्त करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। ग्रामसभा गांव की संसद बन सकती है क्योंकि गांव के हित में योजना बनाना, बजट पारित करना, कर संग्रहण के नियम बनाना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, योजनाओं को लागू करना, लाभार्थियों का चयन करना, जनसहभागिता तथा जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना ही तो ग्रामसभा के मूलभूत दायित्व हैं।

ग्रामसभाओं के सशक्तिकरण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका हो सकती है किन्तु यथार्थ यह भी है कि ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओं का आयोजन तथा उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी चुनौती बनी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था अपनी कमियों के बावजूद ग्रामीणों की दिनचर्या में घुलती जा रही है। ग्रामसभा को सशक्त निकाय बनाकर ग्राम स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व पनपने का अवसर पैदा हुआ है। गांव के अनुसूचित जाति–जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में भी चेतना का संचार हो रहा है। ग्रामीणों को ग्रामसभा के कार्य, अधिकार व उत्तरदायित्व की ठोस जानकारी व शिक्षा देने के लिए जनजाग्रति अभियान, जनसभा, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, आकाशवाणी, दूरदर्शन कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था ने साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, संकीर्णता, मनमुटाव आदि को बढ़ाया है फिर भी सशक्त, सुदृढ़ एवं जनभावना के अनुकूल गांव में आशा की नई क्रांति से उत्साहजनक रुझान सामने आया है।

(लेखक चंचल बाई पटेल महाविद्यालय, राइट टाऊन, जबलपुर के वाणिज्य विभाग में कार्यरत हैं।)
ई–मेलः sudheesh1973@rediffmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

प्रबंधन के द्वारा टमाटर की प्राकृतिक खेती

डॉ. रेखा राय

हम अभी तक रासायनिक खेती करते आ रहे हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की वजह से कुछ वर्षों तक हमने उत्पादन में तो वृद्धि कर ली लेकिन कुछ समय पश्चात उत्पादन में प्रति वर्ष गिरावट आने लगी और खर्च अधिक आने लगा। इसी के चलते हमने अपनी सोना उगलने वाली मिट्टी को बंजर बना दिया और रासायनिक उर्वरकों के धुंआधार प्रयोगों के दुष्परिणाम के चलते मानव जीवन भी संकट में आ गया। जिससे आज हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने की वजह से कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, अर्थराईटिस, मधुमेह इत्यादि जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक खादों एवं दवाईयों के प्रयोग को कम करके और प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का भरपूर उपयोग कर यानी प्राकृतिक खेती (जैविक खेती) करके हम न केवल अधिक धन अर्जित कर सकते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य वृद्धि में भी इसका सकारात्मक योगदान हो सकता है।

टमाटर देश के सभी हिस्सों में उगाई जाने वाली किसानों की पसंदीदा फसल है। देश भर में हर घर में हर रोज इसे सब्जियों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टमाटर का उपयोग चटनी, केचअप, सलाद आदि के रूप में भी किया जाता है। इसकी सबसे अधिक पैदावार मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में होती है।

टमाटर के गुण

शरीर के लिए टमाटर बहुत ही लाभकारी हैं। इससे कई रोगों का निदान होता है। टमाटर शरीर से विशेषकर गुर्दे से रोग के जीवाणुओं को निकालता है। यह पेशाब में चीनी के प्रतिशत पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावशाली होने के कारण मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण इसे एक उत्तम भोजन माना जाता है। टमाटर से पाचनशक्ति बढ़ती है। इसके लगातार सेवन से जिगर बेहतर ढंग से काम करता है और गैस की शिकायत भी दूर होती है। जो लोग अपना वजन कम करने के इच्छुक हैं उनके लिए टमाटर बहुत उपयोगी है। एक मध्यम आकार के टमाटर में केवल 12 कैलोरी होती हैं, इसलिए इसे पतला होने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। टमाटर इतने पौष्टिक होते हैं कि सुबह नाश्ते में केवल दो टमाटर सम्पूर्ण

भोजन के बराबर होते हैं। ऐसा नियमित सेवन करते रहने से आपके वजन में जरा भी वृद्धि नहीं होगी। इसके साथ–साथ यह पूरे शरीर के छोटे–मोटे विकारों को भी दूर करता है। टमाटर के नियमित सेवन से श्वासनली का शोथ कम होता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि टमाटर खाने से अतिसंकुचन भी दूर होता है और खांसी तथा बलगम से भी राहत मिलती है। अधिक पके लाल टमाटर खाने वालों को कैंसर रोग नहीं होता। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

प्रबंधन के चरण

टमाटर की अधिक पैदावार एवं उन्नत खेती को हम दो पहलुओं में विभाजित करते हैं जिसके पहले पहलू में तीन चरण आते हैं।

पहला चरण – भूमि का उपचार

पहले चरण में हम सबसे पहले भूमि का उपचार करते हैं। भूमि उपचार के लिए हम सर्वप्रथम जुते हुए खेत में 50 किलोग्राम प्रति एकड़ चूने का पाउडर एवं 30 किलोग्राम प्रति एकड़ नीम पाउडर मिलाकर फिर से जुताई करते हैं जिससे मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते है।

दूसरा चरण – बीज का उपचार

दूसरे चरण में हम बीज का उपचार करते हैं। बीज उपचार के लिए सर्वप्रथम बीज को धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं। फिर गौमूत्र में ट्राइकोडरमा विरीडी को मिलाकर बीज पर लेप करते हैं। यह प्रकिया छाया में करनी चाहिए इसके बाद बीज को खेत में बोते हैं।

तीसरा चरण – पौधे का उपचार

इस चरण में हम पौधे का उपचार करते हैं। पौधे के उपचार से आशय पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है। इसके लिए फसल उगने के हर 15 दिन बाद से हर 8 दिन में 1.5 लीटर गौमूत्र 13.5 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करने से फसल में बीमारियों का प्रकोप कम से कम होता है।

फसल के उपचार के साथ–साथ फसल के पोषण एवं वृद्धि के लिए वर्मीवॉस के 500 मिलीलिटर को 14.50 मिली लीटर पानी के साथ मिलाकर हर 8वें दिन में स्प्रे करना चाहिए। इससे फसल के लिए 16 सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जोकि फसल की सुरक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ फसल को बढ़ने में मदद करते हैं।

अब हम दूसरे पहलू पर प्रकाश डाले तो इसमें भी हम 3 चरण लेते हैं।

पहला चरण – भूमि का चयन

टमाटर के लिए सभी प्रकार की मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। लेकिन दोमट और बलुआ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इस चरण में हम भूमि का परीक्षण करते हैं जिससे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता चलता है एवं मिट्टी का पीएच भी भूमि परीक्षण के दौरान ज्ञात करते हैं जिससे उत्पादन लेने में हमें बेहद आसानी होती है। टमाटर के लिए मुख्यतः फास्फेट, नाईट्रोजन, पोटाश, मैग्निशियम, सल्फेट व सल्फर इत्यादि तत्वों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है।

परीक्षण के दौरान मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 ठीक होता है। यदि मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है तो इसका मतलब मिट्टी अम्लीय है। इसके लिए 5 क्विंटल प्रति एकड़ फासफो कम्पोस्ट डालना चाहिए और यदि मिट्टी का पीएच 7.5 से अधिक है तो मिट्टी क्षारीय है तो अंकुरण ठीक से नहीं होगा तथा पौधे सूखने लगते हैं। इसके लिए खेत में जिप्सम एवं नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। भूमि का पीएच संतुलित होने की अवस्था में ही हमारे द्वारा दिए गए पोषक तत्व फसल को आसानी से उपलब्ध होंगे।

दूसरा चरण – बीज का चयन

इसके लिए उन्नत किस्मों के बीज का चयन अति आवश्यक होता है जिससे अच्छी पैदावार होती है।

तीसरा चरण – खुद का चयन

तीसरे चरण में हम अपना खुद का चयन करते हैं जोकि

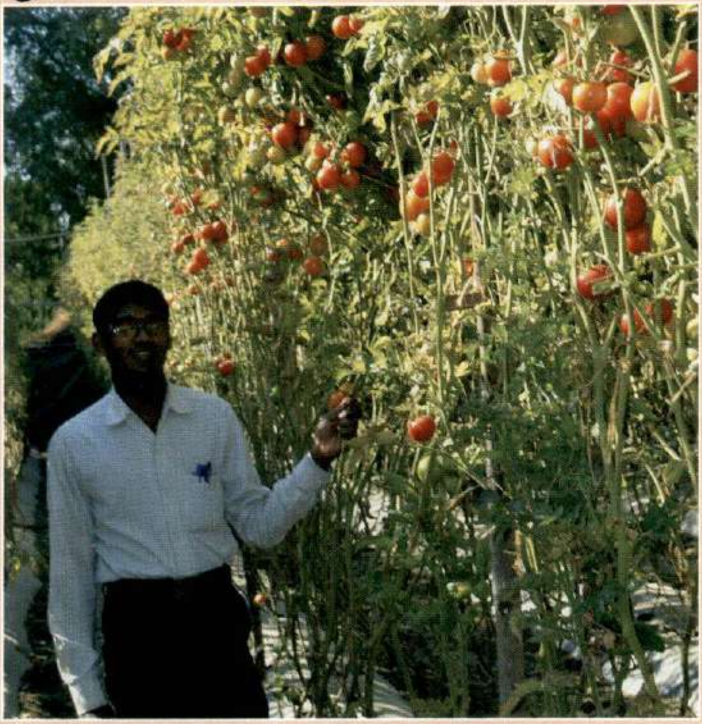

बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम अपना चयन अपनी पसंदीदा फसल के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम उम्मीद से अधिक मिलेंगे।

प्रयोग और परिणाम

म.प्र. के सागर जिले के एक कृषक आकाश चौरसिया ने इन तरीकों को अपनाकर 10 डिसमिल टमाटर की खेती 1 जून 2012 से करना प्रारंभ की और इस तरह प्रबंधन किया जिसके परिणामस्वरूप 10 डिसमिल भूमि से एक फसल चक्र के दौरान 13 टन अर्थात 130 क्विंटल टमाटर प्राप्त किए जोकि आठ रुपये प्रति किलोग्राम औसत से 1,05,000 रुपये प्राप्त किए। यदि इसी हिसाब से एक एकड़ में फसल की पैदावार करे तो 10 लाख 50 हजार रुपये की आमदनी प्राप्त होगी जोकि एक आश्चर्यजनक आमदनी है। भारत में आज 5 एकड़ के आसपास या उससे अधिक भूस्वामी वाले किसान हैं। यदि एक परिवार 5 एकड़ में इस प्रकार के प्रबंधन के साथ खेती करता है तो उसकी पूरे वर्ष की आमदनी 52 लाख के आसपास होगी जोकि एक बड़ी आमदनी कही जा सकती है।

यदि देश के सभी किसान प्रबंधन के द्वारा खेती व्यवसाय करते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी और किसान बैंक से कर्ज लेने की जगह देने की हैसियत रखेंगे। हम प्राकृतिक खेती करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं:–

खेत की तैयारी

उपचारित किए खेत पर रेजर के माध्यम से वैड बनाते हैं जिसकी सतह से ऊंचाई लगभग 1/2 फीट एवं चौड़ाई 2 फीट रखते हैं जिससे जल निकास आसानी से हो सके और पौधे की जड़ आसानी से फैल सके और बैड से बैड की दूरी 3 फीट रखते हैं एवं पौध रोपण का कार्य बैट के मध्य में करते हैं और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 40 सेमी. रखते हैं।

सिंचाई

हमारे देश में पानी की अधिक उपलब्धता के कारण किसान खुला पानी खेत में छोड़ते हैं जिससे पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। जबकि यदि प्रबंधन की बात करे तो हमें टपक प्रणाली से सिंचाई करनी चाहिए इससे पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सकता है और आवश्यकतानुसार तरल खाद्य एवं पोषक तत्व दिए जा सकते हैं एवं इस सिंचाई से फसल को फायदा पहुंचता है। साथ ही साथ किसान की आमदनी भी बढ़ती है और हम लगभग 40 प्रतिशत पानी जोकि व्यर्थ जाता है, उसे बचा सकते हैं।

खरपतवार नियंत्रण

इसके लिए किसान मुख्यतः अभी तक कीटनाशक दवाईयों का उपयोग करते आ रहे है जोकि ज़मीन, फसल, किसान, जीवजन्तु व पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके लिए हम मलचिंग सीट का प्रयोग करते हैं जिससे खरपतवार से 100 प्रतिशत निजात मिल जाती है।

अंत में, किसान इन्हीं प्रबंधनों के द्वारा टमाटर के अतिरिक्त अन्य सभी साग–सब्जियां, फल एवं फसलों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाकर अपने परिवार को खुशहाली पहुंचाते हुए देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : rai.rekha90@yahoo.in

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

स्वास्थ्यवर्धक है पत्तागोभी

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल

यूं तो सभी हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं लेकिन पत्तागोभी उच्चस्तरीय पोषक तत्वों से भरपूर, सुपाच्य और बहुत ही कम कैलोरी वाली सब्जी होने के कारण अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक मानी जाती है। पत्तागोभी सब्जी के बिना तो बहुत से लोकप्रिय व्यंजनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह एक ऐसी सस्ती सब्जी है जो हमारे देश में साल में सात-आठ महीने तक हर जगह मिलती है और शीतकालीन सब्जियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। पत्तागोभी का उपयोग सलाद, करी तथा सूखी सब्जी के रूप में किया जाता है। पत्तागोभी को कच्चा ही खाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पकाने पर इसके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पत्तागोभी का रायता भी बेहद स्वादिष्ट एवं पोषक होता है।

पत्तागोभी अति प्राचीन खाद्य पदार्थ है। पत्तागोभी का वानस्पतिक नाम ब्रासीका ओलरेसिया कैपीटाटा है। यह क्रूसीफेरी परिवार का प्रमुख सदस्य है। इसे अंग्रेजी में कैबेज कहते हैं। पत्तागोभी को पातगोभी, बन्दगोभी तथा कमरकल्ला आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पत्तों से भरा होता है यानी पत्तागोभी में पत्तों की परत-दर-परत चढ़ी रहती है, इसलिए इसे शतपर्वा भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पत्तेदार सब्जी है जो एक बन्द फूल के समान धरती के ऊपर पैदा होने वाली सब्जी है। पत्तागोभी का पौधा एक बंद कली के समान धीरे-धीरे बढ़ता है और उसमें एक ही फूल लगता है। यह द्विवर्षीय पौधा होता है।

पत्तागोभी का मूल स्थान भारत न होकर पश्चिमी यूरोप तथा इंग्लैंड है। कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार पत्तागोभी का जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जहां के तटीय क्षेत्रों में अब भी इसके जंगली जनक उगते हैं। प्राचीन काल से ही रोमन तथा ग्रीकवासियों द्वारा यह सब्जी उगायी जाती रही है। प्राचीनकाल में यूनानी तथा रोमन पत्तागोभी का उपयोग बाह्य तथा आंतरिक औषधि एवं प्रमुख आहार के रूप में करते थे। आयुर्वेद के अनुसार पत्तागोभी लघु, मधुर, पाक में कटु (चरपरी), पाचक, दीपन, मलमूत्र प्रवर्तक, वातकारक एवं कफ, पित्त प्रकोपजन्य, भ्रमनाशक होती है। जंगली पत्तागोभी किंचित, कड़वी किन्तु अपेक्षाकृत अधिक पुष्टिकारक तथा सारक होती है।

पत्तागोभी में शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे-पानी, कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा तथा खनिज लवण उचित मात्रा में पाए जाते हैं। पत्तागोभी में खनिज लवण जैसे- कैल्शियम, फॉस्फोरस, लौह, सोडियम तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। पत्तागोभी में विटामिन ए एवं सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तागोभी में विटामिन बी कॉम्पलेक्स समूह के विटामिन जैसे- थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन

आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। पत्तागोभी में इन विटामिनों के अतिरिक्त एक दुर्लभ विटामिन यू भी पाया जाता है जोकि एक असरदार अल्सर प्रतिरोधक पदार्थ होता है। पत्तागोभी प्रबल एंटीस्कार्ब्यूटिक आहार है। संतरा तथा विटामिन सी युक्त फल नहीं मिलने पर इसे कच्चा खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। नींबू, अमरुद, आंवला आदि खट्टे फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है परन्तु हायपरएसिडिटी, अल्सर तथा आन्त्रिक शोथ में खट्टे फलों के प्रयोग से उत्तेजना एवं जलन होती है। ऐसी स्थिति में पत्तागोभी का रस अति उपयोगी होता है। इसमें विटामिन सी अधिक होने से घाव शीघ्रता से भरता है तथा जलन भी नहीं होती है। एक सौ ग्राम पत्तागोभी के सेवन से 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

पत्तागोभी का पोषक मान (प्रतिशत में)
(खाद्य भाग के प्रति 100 ग्राम भार में)

पोषक तत्वों की मात्रा		खनिज एवं विटामिन	
नमी	91.9	कैल्शियम मि.ग्रा.	39
कार्बोहाइड्रेट	4.6	फॉस्फोरस मि.ग्रा.	44
प्रोटीन	18	आयरन मि.ग्रा.	0.8
वसा	0.1	केरोटिन माइक्रोग्राम	120
खनिज लवण	0.6	राइबोफ्लेविन मि.ग्रा.	0.09
रेशा	1.0	नायसिन मि.ग्रा.	0.4
ऊर्जा किलो कैलोरी	27	विटामिन सी मि.ग्रा.	124

भारत में पत्तागोभी की सौ से भी अधिक किस्में पायी जाती हैं। हमारे देश में प्रायः दो प्रकार की पत्तागोभी मिलती है। उपजायी जाने वाली कृषित बागी गोभी तथा मुंबई, खण्डाला, महाबालेश्वर एवं अन्य पहाड़ी स्थलों पर स्वतः उगने वाली जंगली पत्तागोभी। दोनों प्रकार की पत्तागोभियों के रंग तथा आकार भी भिन्न–भिन्न होते हैं। पत्तागोभी की एक किस्म में पत्तियां हरी के बजाय लाल रंग की होती हैं। इसे लाल पत्तागोभी कहते हैं। लाल पत्तागोभी में विटामिन ए, के, ई, सी, विटामिन बी कॉम्पलेक्स तथा खनिज लवण, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल पत्तागोभी में ऐन्थोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। एल्जाइमर्स रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाल पत्तागोभी एक उत्तम आहार होता है। एल्जाइमर्स रोग की प्रारम्भिक अवस्था में लाल पत्तागोभी का सेवन फायदेमंद होता है। लाल पत्तागोभी में सफेद पत्तागोभी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है।

औषधीय उपयोग

पेप्टिक अल्सरः ताजा पत्तागोभी के रस में एक दुर्लभ विटामिन यू पाया जाता है, जो अत्यन्त असरदार अल्सरप्रतिरोधी पदार्थ होता है। अतः पत्तागोभी का रस पीने से पेप्टिक अल्सर यानी पेट के घाव ठीक हो जाते हैं। विटामिन यू का यू अक्षर लैटिन भाषा के शब्द यूलस से लिया गया है जिसका अर्थ ही अल्सर होता है। नियमित रूप से रोजाना सुबह–शाम एक–एक कप ताजा पत्तागोभी का रस पीने से अल्सर के पुराने से पुराने मरीज को केवल चार–पांच सप्ताह के अंदर अल्सर की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। पकाने से पत्तागोभी का विटामिन यू नष्ट हो जाता है अतः अल्सर के मरीज को कच्ची पत्तागोभी के रस का सेवन करना चाहिए।

पीलियाः पत्तागोभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण पत्तागोभी में उपलब्ध लौह तत्व का शरीर में शीघ्रता एवं आसानी से शोषण हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से पीलिया में पत्तागोभी का सेवन बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है।

कब्जः पत्तागोभी में मौजूद कुछ सूक्ष्म तत्व शरीर में पाए जाने वाले दोषपूर्ण पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर की चयापचय क्रिया को नियमित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं। ताजा पत्तागोभी को बारीक काटकर उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर नित्य सुबह खाली पेट खाने से दो से चार सप्ताह में कब्ज से मुक्ति मिल जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक पाचन क्रिया उद्दीपक और भूख बढ़ाने के टॉनिक के रूप में मरीज को पत्तागोभी सेवन की सलाह देते हैं।

कोलाइटिसः कोलाइटिस (बड़ी आंत का प्रदाह) रोग में बड़ी आंत में सूजन आ जाती है। कुछ भी खाने के तुरन्त बाद पेट में दर्द और जलन शुरु हो जाती है। खट्टी डकारें आने लगती हैं और बार–बार उल्टी भी होती है। ऐसे में एक गिलास छाछ में एक कप ताजा पत्तागोभी का रस और एक चौथाई कप पालक का रस मिलाकर प्रतिदिन दिन में दो बार (सुबह–शाम) पीने से तीन–चार सप्ताह के अंदर कोलाइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है।

कैंसर : पत्तागोभी का एक विशेष गुण ये है कि इसके उपयोग से शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यदि कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था में प्रतिदिन प्रातःकाल पत्तागोभी के रस का आधा कप नियम से पीते रहें तो कैंसर में लाभ होता है।

मोटापाः अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि पत्तागोभी में टारट्रोनिक अम्ल नामक रसायन पाया जाता है। यह अम्ल कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करता है। पत्तागोभी के सेवन से बहुत ही कम कैलोरी मिलती है। 100 ग्राम पत्तागोभी के सेवन से केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि गेहूं और चावल की उतनी ही मात्रा से क्रमशः 348 और 351 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अरहर, मूंग, मसूर, चना और उड़द की 100–100 ग्राम दालों से क्रमशः 334, 334, 346, 316 और 348

किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी की कम मात्रा होते हुए भी पत्तागोभी में बहुत सारे उच्चस्तरीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। अतः डायटिंग करने वालों के लिए यह एक आदर्श आहार है। ऐसा इसलिए कि इसका सेवन करने पर पेट भरा हुआ रहता है, लेकिन ऊर्जा बहुत कम मिलती है। अतः वजन या मोटापा कम करना हो तो दिन में दो बार पत्तागोभी का सेवन करना चाहिए।

मूत्र की रुकावटः पत्तागोभी में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मूत्र प्रणाली पर नियन्त्रण रखने में सहायक होता है। अतः रुक–रुक कर मूत्र आने की शिकायत होने पर पत्तागोभी का आधा कप रस नियमित रूप से कुछ दिनों तक पीने से मूत्र की रुकावट दूर हो जाती है।

शरीर की शुद्धिः प्राकृतिक चिकित्सक एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पत्तागोभी के रस में गाजर के रस को मिलाकर उपयोग किया जाए तो इससे शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से होती है।

सिर दर्दः जिन लोगों को दोपहर के समय सिर दर्द हो जाता है और वे बैचेन तथा चिन्तित रहने लगते हैं साथ ही उनके दिल की धड़कने भी बढ़ जाती हैं तथा शरीर में वायु प्रकोप के कारण दर्द भी रहने लगता है, ऐसे लोगों को पत्तागोभी के रस का प्रयोग करते रहना चाहिए।

घाव भरने में: पत्तागोभी का रस पीने तथा पत्तागोभी की पट्टी बांधने से घाव जल्दी भर जाते हैं।

मधुमेहः पत्तागोभी की सब्जी और सलाद का सेवन मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत गुणकारी होता है। अतः मधुमेह के रोगियों को अपने आहार में पत्तागोभी को अवश्य शामिल करना चाहिए।

नजर की कमजोरीः पत्तागोभी में विटामिन ए की प्रचुरता होने से यह नजर की कमजोरी में भी फायदेमंद है।

केश वृद्धिः कुछ दिनों तक नियमित रूप से पत्तागोभी खाने अथवा उसका रस पीने से तथा सिर में पत्तागोभी के रस से मालिश करने पर बाल झड़ने की शिकायत दूर हो जाती है तथा बालों की वृद्धि भी होती है।

दंत रोग में: पचास ग्राम पत्तागोभी के कच्चे पत्तों को चबाकर खाने से पायरिया तथा अन्य दंत रोगों में अत्यधिक लाभ होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

अनिद्राः जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो उन्हें रात को सोने से एक घंटा पूर्व एक चौथाई कप ताजा पत्तागोभी का रस पीना चाहिए, इससे नींद खूब आती है। अनिद्रा रोग में तो इसकी सब्जी रामबाण औषधि है।

सावधानियांः पत्तागोभी का सेवन करते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए–

- पत्तागोभी के बाह्य हरे पत्तों में भीतरी सफेद पत्तों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अतः पत्तागोभी के ऊपरी हरे पत्तों को फेंकना नहीं चाहिए।
- सदैव ताजा पत्तागोभी का ही सेवन करना चाहिए क्योंकि तीन–चार दिनों तक रखने से इसके अधिकांश विटामिन नष्ट हो जाते हैं।
- पत्तागोभी की सब्जी बनाने व सलाद काटने से पूर्व या रस निकालने से पहले इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए तथा इसे जिस पानी में पकाया जाता है उसको फेंकना नहीं चाहिए।
- पत्तागोभी को अधिक देर तक उबालने, पकाने तथा भूनने से इसकी पोषण क्षमता अतिशीघ्रता से नष्ट हो जाती है तथा यह पचने में भारी, गरिष्ठ तथा कब्जकारक हो जाती है।
- घेंघा की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पत्तागोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट रसायन थायोसायनेट पाया जाता है जो ग्रीवा में स्थित थाइरॉयड ग्रन्थि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन के निर्माण एवं स्राव में बाधा उत्पन्न करता है।
- विशेष परिस्थितियों या उपचार को छोड़कर पत्तागोभी अथवा इसके रस का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। कई बार पत्तागोभी का रस पीने से पेट में गैस बनने लगती है जिससे अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि आंतों में कोई विषमता है।

(लेखक राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के आणविक जीवविज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)
ई–मेलः khandelwalsk19@yahoo.com

सफलता की कहानी

अंधेरे में जलाई शिक्षा की ज्योति

अटल तिवारी

उषा का ज्यादातर वक्त गरीब और निरक्षर लड़के-लड़कियों को पढ़ा-लिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जाता है। उसकी जिन्दगी का मकसद भी यही है। वह कहती भी हैं, 'मेरा उद्देश्य है पढ़ाई से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। इसी के तहत हम अपने केन्द्र पर आने वाले बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास करते हैं।' उषा के प्रयास देखकर लगता है कि जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। इसके लिए बस संकल्प लेने की जरूरत है और रास्ता बनता चला जाता है। उनके काम को देखते हुए आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कार्पोरेशन 'रेड ब्रिगेड' पर एक वृत्तचित्र बना चुका है। उषा को ग्राडफ्रे फिलिप नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2013 से भी नवाजा जा चुका है।

उषा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ डालीगंज इलाके में रहती है। एक गरीब परिवार में जन्मी उषा जब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तो स्कूल आते-जाते वह झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को देखती थी। यह पूरी बस्ती नटों की थी। अधिकतर बच्चे भीख मांगते थे तो कुछ कूड़े में अपना 'भविष्य' तलाशते थे। पढ़ने-लिखने से उनका दूर-दूर तक वास्ता नहीं था। उषा सोचने लगी कि अगर इन बच्चों को तालीम दी जाए तो यह पढ़-लिख सकते हैं। भीख मांगने के बजाय दूसरे काम कर सकते हैं। इस बात को लेकर उषा के मन में बेचैनी रहती थी। अंततः एक दिन उसने नदवा पुल के नीचे रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। अपना मंतव्य परिवार एवं शुभचिंतकों से साझा किया, पर कम ही लोगों ने प्रोत्साहित किया। अधिकतर लोग मशविरा देने लगे कि पहले अपना देखो। परिवार देखो। आखिर तुम एक लड़की हो, लेकिन उषा ने 'एकला चलो' की तरह आगे कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया था। इसी के तहत उसने बस्ती के लोगों से बात की। पढ़ने-लिखने का महत्व बताया। विश्वास दिलाया कि बच्चों को पढ़ाने में उनका पैसा नहीं

लगेगा। लम्बी जद्दोजहद के बाद चंद लोग तैयार हुए। उषा बच्चों को एक जगह एकत्र कर पढ़ाने लगी। धीरे–धीरे बच्चे बढ़ गए। बच्चों को शिक्षित करने में लगी उषा खुद भी पढ़ रही थी। उसने 2005 में 12वीं की परीक्षा पास की। साथ ही बस्ती के बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने के साथ सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। इसमें आसपास के शिक्षित लोगों की सहायता भी ली, जो अभिभावकों को तैयार करने में अहम कड़ी साबित हुए।

इसी दौरान उषा विश्वकर्मा का परिवार मड़ियांव में रहने लगा था। उषा ने रिंग रोड पर एक ऐसी बस्ती देखी, जहां के बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। कमोबेश नदवा जैसी प्रक्रिया से गुजरते हुए उसने यहां भी बच्चों को तालीम देना शुरू किया। इसके लिए उसे मड़ियांव से सात–आठ किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना पड़ता था। करीब सवा साल बाद उषा बीमार पड़ी तो डॉक्टरों ने साइकिल चलाना मना कर दिया। आर्थिक तंगी ऐसी कि वह रिक्शे या ऑटो से जाने की सोच भी नहीं सकती थी। उषा ने इसकी काट निकालते हुए मड़ियांव की मुस्लिम बस्ती (नौबस्ता खुर्द) में बच्चों का एक केन्द्र खोलने की योजना बनाई। यह बस्ती शहर के एक किनारे थी। गरीब बस्ती के बच्चे (लड़कियां अधिक) पढ़ने नहीं जाते थे। एक तरह से यहां बुनियादी शिक्षा की जरूरत थी। इसे देखते हुए उषा ने आसपास के लड़के–लड़कियों को शिक्षित करने को अपनी जिन्दगी का मकसद बनाया। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके माता–पिता को तैयार करना इस बस्ती में और भी कठिन था। उषा ने घर–घर जाकर अभिभावकों से बात करनी शुरू की। भरोसा दिलाया कि इसके लिए उन पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। पढ़ने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री वह स्वयं दिलाएगी। उषा की बात सुनकर अभिभावक प्रश्न करते कि बच्चे काम करके उनकी आर्थिक मदद करते हैं। अधिकतर बच्चे उस समय जरदोजी का काम करते थे तो कुछ कूड़ा बीनने में लगे थे। उषा ने कहा कि हम कुछ ही समय बच्चों का लेंगे। हमारा इरादा आपका काम बन्द करने का नहीं है। धीरे–धीरे लोग उषा की बात समझने लगे। चंद अभिभावक अपने बच्चे भेजने को तैयार हो गए तो जगह का संकट सामने आया। इसके लिए बस्ती में खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल किया गया।

सन् 2006 में शिक्षक दिवस के दिन 20 बच्चों से केन्द्र का शुभारंभ किया। घास–फूस की छत की ओट लेकर केन्द्र चलने लगा। यहां आने वाले बच्चों को देखकर दूसरे अभिभावक भी अपने बच्चे भेजने लगे। केन्द्र का काम खत्म करने के बाद उषा रोज उन घरों पर दस्तक देती जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित होते। उसकी मेहनत और लगन का यह परिणाम हुआ कि आने वाले तीन महीने में करीब 160 बच्चे केन्द्र पर आने लगे। इसमें लड़कियों की संख्या अधिक होती। शिक्षा से वंचित बच्चों के पढ़ने में आने की समस्या का समाधान हुआ तो एक दूसरी समस्या सामने थी। जिस जगह पर केन्द्र चल रहा था, उसके मालिक को लगा कि बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनकी ज़मीन पर कब्जा जमाने की साजिश की जा रही है। उषा के लाख समझाने के बावजूद उसने केन्द्र को उजाड़ दिया। उषा दूसरे खाली प्लॉट में केन्द्र का संचालन करने लगी। कुछ दिन बाद यहां भी वही समस्या थी। इस तरह तीन साल में 17 बार केन्द्र उजाड़ा गया, पर अपनी धुन की पक्की उषा ने आखिरकार केन्द्र के लिए जमीन खरीदने का निश्चय किया। कारपेंटर का काम करने वाले पिता गणेश विश्वकर्मा किसी तरह सात लोगों के परिवार की रोजी–रोटी चला रहे थे। ऐसे में जमीन

खरीदने के लिए पैसे कहां से आते? लिहाजा 2009 में केन्द्र की जमीन खरीदने के लिए उषा ने अपने शैक्षिक सर्टिफिकेट पर ऋण लिया। कुछ पैसा इधर–उधर से जुटाया। इसके बाद घर के पास ही डेढ़ लाख रुपये की जमीन खरीदी, जिस पर इस समय केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस जगह की नींव भरी जा चुकी है। उषा की चिंता आजकल इस जगह पर पक्की छत डलवाने की है, जिससे बच्चों के लिए स्थायी केन्द्र का संचालन किया जा सके।

दरअसल उषा विश्वकर्मा अपनी मुहिम के तहत बच्चों में शिक्षा की ललक जगा रही हैं। बच्चों को दो से तीन साल तक शुरुआती शिक्षा देती हैं। वह जब आश्वस्त हो जाती हैं कि अमुक बच्चा सामान्य बच्चों की तरह कक्षा में पढ़ लेगा तो वह उनका दाखिला सरकारी और निजी स्कूलों में करा देती हैं। इसके लिए घरवालों से बात करना, दाखिले के लिए भागदौड़ करना, आने वाली दिक्कतों का समाधान कराने का प्रयास करती हैं। उषा के जुनून का ही कमाल है कि अब तक उनके यहां से 500 से अधिक बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं तो मौजूदा समय में 55 बच्चे तालीम ले रहे हैं। केन्द्र से निकले 60 बच्चों का दाखिला सिमरा गौढ़ी के प्राथमिक विद्यालय में कराया गया है तो 40 बच्चों का आधी फीस पर अन्य स्कूल में। इसी तरह लाल साहब एकेडमी, कुंवर यादवेन्द्र स्कूल व रत्ना देवी स्कूलों में भी बच्चों को आगे की तालीम हासिल करने के लिए दाखिल कराया गया है। केन्द्र के 15 बच्चे प्रेरणा स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसमें छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। बच्चे पठन–पाठन में इतने निपुण हो गए हैं कि परीक्षा में 85 व 90 प्रतिशत तक नंबर लाते हैं। दाखिला कराने के बाद भी उषा इन बच्चों से जुड़ी रहती हैं। वह पता लगाती रहती हैं कि कहीं बच्चों ने स्कूल आना बंद तो नहीं कर दिया। इस दौरान आने वाली उनकी परेशानियों को भी दूर कराने का प्रयास करती हैं। वजीफा से लेकर कॉपी–किताबें दिलाने तक पर नजर रखती हैं। केन्द्र से निकली अधिकतर लड़कियां उषा से इस तरह जुड़ी हैं कि वे स्कूल–कॉलेज से आने के बाद केन्द्र संचालन में उषा की मदद करती हैं।

उषा के काम को देखते हुए जागरूक हुए बस्ती के लोग अब खुद भी बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। उषा का केन्द्र अब दो शिफ्ट में चलता है। इसमें उषा की छोटी बहनें भी सहयोग करती हैं। शिक्षा की अलख जगाने के पीछे की वजह उषा बताती हैं, 'हमें लगा कि समाज में बेटी को अवांछित मानने वालों की सोच हावी है। बस्ती के लोग किसी तरह लड़कों को पढ़ने भेज देते लेकिन लड़कियों को पढ़ने भेजने से गुरेज करते हैं। यह बात हमें कसक रही थी कि बेटी होने के नाम पर अपने पैरों में पड़ी बेड़ियों से न केवल खुद को आजाद कराऊंगी बल्कि अपनी जैसी तमाम उन लड़कियों को भी उससे मुक्त कराऊंगी। इसी सोच के तहत 'बाल मंच' बनाकर कुछ अलग करने की दिशा में काम करने लगी।' केन्द्र में बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है। साल में दो से तीन बड़ी कार्यशालाएं होती हैं। इसमें बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लिंगभेद, शारीरिक पोषण के खिलाफ आवाज उठाने और सूचना का अधिकार के बारे में बच्चों को बताया जाता है। केन्द्र में सुबह की शिफ्ट का काम समाप्त कर उषा दूसरे मिशन पर निकल पड़ती हैं। बस्ती के लोगों की समस्याएं सुलझाना मसलन राशनकार्ड बनवाना, अनाज दिलवाना, बिजली–पानी की समस्या का समाधान कराना, बीमार होने पर बच्चों की दवा का इंतजाम कराना। इसके लिए वह उनके साथ दफ्तरों के चक्कर लगाती हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर किसी दफ्तर का बाबू

नौबस्ता इलाके के व्यक्ति से काम के बदले पैसे की मांग करता है या लेने में सफल हो जाता है तो पता लगते ही उषा लोगों के साथ दफ्तर पहुंच जाती हैं। उक्त कर्मी की लानत–मलानत होती है।

उषा की मुहिम का यह असर हुआ कि बस्ती के गरीब लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास पहुंचते हैं। उषा महज लखनऊ तक सीमित नहीं हैं। वह देश के दूसरे हिस्सों में चलने वाले आंदोलनों में भी समय–समय पर शिरकत करती हैं। नर्मदा आंदोलन से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड समेत अनेक राज्यों में होने वाले आंदोलनों में समय–समय पर सहभागिता करती हैं। इस दौरान उसकी बहनें केन्द्र की जिम्मेदारी बखूबी संभालती हैं। उषा अपने इस जुनून को आगे बढ़ाने के लिए एक पैसे की भी सरकारी मदद नहीं लेती हैं। हां, गांधी जी की तरह लोगों से मदद लेने में उन्हें किसी तरह का गुरेज भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में महज 69.72 प्रतिशत साक्षरता है। इसे आगे बढ़ाने के सवाल पर वह कहती हैं, 'जब मेरे जैसी लड़की इतने बच्चों को शिक्षित कर मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ सकती है तो साक्षरता की दर बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हां, लोगों में इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अगर हमारी तरह छोटे स्तर पर ही लोग शहरों, कस्बों, गांवों में इस तरह के प्रयास करें तो आने वाले दस साल में ही इसके सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सरकारों का मुंह भी नहीं ताकना पड़ेगा।'

उषा शिक्षा के साथ–साथ पिछले एक साल से महिला मुद्दों पर भी गंभीरता से काम रही हैं। केन्द्र की कुछ लड़कियों के साथ पिछले साल छेड़खानी की घटनाएं घटीं। इसे देखकर अभिभावक अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने में कन्नी काटने लगे। कुछ लड़कियों ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया। उषा ने मामले की शिकायत पुलिस में की तो ठीक से रहने की नसीहत मिली। इसे देखकर उन्होंने एकजुट होकर पहले उन बिगड़ैल युवाओं को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद घटनाएं नहीं रुकीं तो उषा ने 'रेड ब्रिगेड' नाम का संगठन बनाया, जिसमें शामिल लड़कियां लाल रंग की पोशाक (सलवार–कुर्ता) पहनती हैं। घटना होने पर सबसे पहले वह समझाती हैं। फिर पुलिस को सूचना देती हैं। तीसरी कड़ी के तहत पकड़कर थाने ले जाती हैं। केन्द्र में लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाते हैं। संगठन के काम को देखते हुए जहां कुछ लोग प्रोत्साहित करते हैं वहीं कुछ लोग टांग खींचने वाले भी सामने आते हैं। किसी को 'बालमंच' और 'रेड ब्रिगेड' के कामकाज के तरीके पर एतराज होता है तो कुछ दूसरे संगठन भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इन बातों से बेफिक्र उषा अपना रास्ता तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वह लगातार काम कर रही हैं। केन्द्र की लड़कियां भी अब उनकी मुहिम में साथ खड़ी हैं। किसी भी सामाजिक मुद्दे पर होने वाले आंदोलन में वह आगे बढ़कर शिरकत करती हैं। दिल्ली बलात्कार कांड को लेकर 'रेड ब्रिगेड' का लखनऊ में लगातार आंदोलन चला। राज्य में इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, छेड़छाड़ की घटनाओं को संजीदगी से लेने की मांग को लेकर भी आंदोलन किए गए। उनके काम को देखते हुए आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कार्पोरेशन 'रेड ब्रिगेड' पर एक वृत्तचित्र बना चुका है। उषा को ग्राडफ्रे फिलिप नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2013 से भी नवाजा जा चुका है। दिल्ली में एक मई 2013 को हुए समारोह में अभिनेत्री दीप्ति नवल और दूरसंचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। इसके अलावा भी उन्हें अनेक पुरस्कार और अवार्ड मिल चुके हैं।

एक तरह से कभी खुद परेशानी में घिरी रहने वाली लड़कियां अब दूसरों की परेशानी दूर कर रही हैं। समाज की दूसरी लड़कियों का सहारा बनी हैं। दरअसल बचपन से ही बेटियों को सामाजिक दायरे में रहने का पाठ पढ़ाना समाज का प्रिय शगल बन चुका है, लेकिन इसी समाज से निकली कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो बेचारी बनी लड़कियों को सहारा देकर उन्हें सशक्त बना रही हैं। इसी तरह उषा का ज्यादातर वक्त गरीब और निरक्षर लड़के–लड़कियों को पढ़ा–लिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जाता है। उनकी जिन्दगी का मकसद भी यही है। वह कहती भी हैं, 'मेरा उद्देश्य है पढ़ाई से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। इसी के तहत हम अपने केन्द्र पर आने वाले बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास करते हैं।' उषा के प्रयास देखकर लगता है कि जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। इसके लिए बस संकल्प लेने की जरूरत है और रास्ता बनता चला जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : atal.tewari@gmail.com

हमारे आगामी अंक

फरवरी, 2014	–	ग्रामीण विकास परियोजनाएं
मार्च, 2014	–	ग्रामीण क्षेत्र–आधारभूत संरचनाएं
अप्रैल, 2014	–	बजट 2014–15
मई, 2014	–	ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योग
जून, 2014	–	कृषि विकास एवं नई तकनीक

मनरेगा के तहत नागी झील से जलप्रवाह की पुनः शुरुआत

जल पृथ्वी के सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने मानव को हालांकि जल संरक्षित करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रयास में नामथांग के लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्राथमिकता के स्तर पर जल संरक्षण के लिए कदम उठाकर वैश्विक जल सुरक्षा के उपायों में अपना योगदान दिया है। उन्होंने 2010–11 में नागी करेक ग्राम पंचायत इकाई के तहत बारहमासी जलधारा से नागी झील को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया।

नामथांग ब्लॉक में 8 ग्राम पंचायत इकाईयां हैं और सभी मनरेगा के तहत कार्य कर रही हैं। नामथांग में मनरेगा में न केवल भूमि विकास और ग्रामीण संपर्क योजना पर कार्य हो रहा है बल्कि इस ब्लॉक के सूखाग्रस्त इलाका होने के कारण यहां पर मामूली रूप से उपलब्ध बारहमासी जलधाराओं से जल संरक्षण और जल स्रोत के विकास का कार्य किया जा रहा है, जबकि वर्तमान जल स्रोत सूखे के कगार पर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनरेगा का इस्तेमाल नागी झील को जल संरक्षण तकनीक से भरने के लिए किया गया। 25 वर्षों से ज्यादा अर्से से यह झील बुरी हालत में रही है और तकरीबन खाली पड़ी रही है।

मनरेगा के तहत पड़ने वाला नागी इलाका पहाड़ी है। यहां पर 10 किलोमीटर दूर स्थित हरकाटे चुबा नाम का एकमात्र पानी का स्रोत है, जिसे झील तक लाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य न केवल झील को भरना है बल्कि जल संरक्षण के साथ–साथ भूमि में 'वाटर सीपेज' को भी बढ़ाना है ताकि मिट्टी में आर्द्रता बनाई रखी जा सके, जिससे यहां की आबादी को इन बारहमासी जल स्रोतों का भरपूर लाभ मिल सके। झील के पुनर्जीवित हो जाने से 9 गांवों के करीब 1700 लोगों को लाभ पहुंचा है।

नामथांग और इसके आसपास के इलाकों में जलधाराओं और झरनों के बढ़ते बहाव से गांववालों को फायदा पहुंच रहा है। कृषि उत्पादन भी बढ़ गया है और सूखी भूमि पर भी अब खेतीबाड़ी हो रही है। खंड विकास अधिकारी रोबिन सेवा ने बताया कि झील पुनर्जीवन कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और स्थानीय लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि यह ऐसे क्षेत्र में जल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर रही है जहां एक समय पानी का स्रोत करीब–करीब समाप्त हो चुका था या जल का विकट अकाल था। नागी झील को लाभ का जरिया बताते हुए एक गांववाले ने कहा कि हम पानी की कमी से बुरी तरह त्रस्त थे, जिसके चलते हमारी कृषि बरबाद हो गई थी और हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। लेकिन अब नागी झील से जल का पुनः प्रवाह शुरू हो जाना हमारे लिए एक बड़ी सौगात है। यह योजना बहुत ही लाभकारी है, इससे हमें रोजगार मिला है, यह हमारे समाज के लिए एक संपदा है।

यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि झील के पुनर्जीवित होने से इस इलाके की कृषि भी पुनर्जीवित हो गई है। किसानों को अब अपनी फसलों के नष्ट होने का डर नहीं सताता। वे इस बात को लेकर खुश हैं कि अब उन्हें जल की कमी नहीं सताएगी।

नागी झील को कृत्रिम तरीके से पुनर्जीवित करने की इस मॉडल परियोजना की चर्चा न केवल राज्य और देश में बल्कि विदेशों में भी है। एक खंड विकास अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की मॉनीटरिंग समिति, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय जल आयोग, राज्य की निगरानी और सतर्कता समिति के प्रतिनिधिमंडलों ने इस झील का दौरा किया है और मनरेगा के तहत किए गए इस प्रयास की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर जर्मनी के एक दल ने लघु डाक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत गरीबी उन्मूलन की यह योजना दक्षिण सिक्किम के नामथांग ब्लॉक में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। वर्ष 2010–11 में सिक्किम में मनरेगा के तहत प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छुबा फोंग ग्राम पंचायत इकाई ने यह बात बताई। इस ग्राम पंचायत इकाई ने ग्रामीण इलाके के घरों में एक–एक हजार लीटर क्षमता के 60 टैंकों से ज्यादा का निर्माण कराया जिसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया। अब नामथांग के इस तरह के टैंकों की संख्या बढ़कर 700 हो गई है। ये टैंक वर्षा जल से और बारहमासी जल स्रोतों से भरे जाते हैं, जिससे गांववालों की जल आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस परियोजना से गांव की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है।

गांववालों का विश्वास है कि मनरेगा के तहत इस तरह के कार्यों के द्वारा उन्हें वर्ष भर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने और उससे ज्यादा आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में आर्थिक लिहाज से निश्चित तौर पर उनका जीवन स्तर उन्नत होगा।

(पसूका से साभार)

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2012–14

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

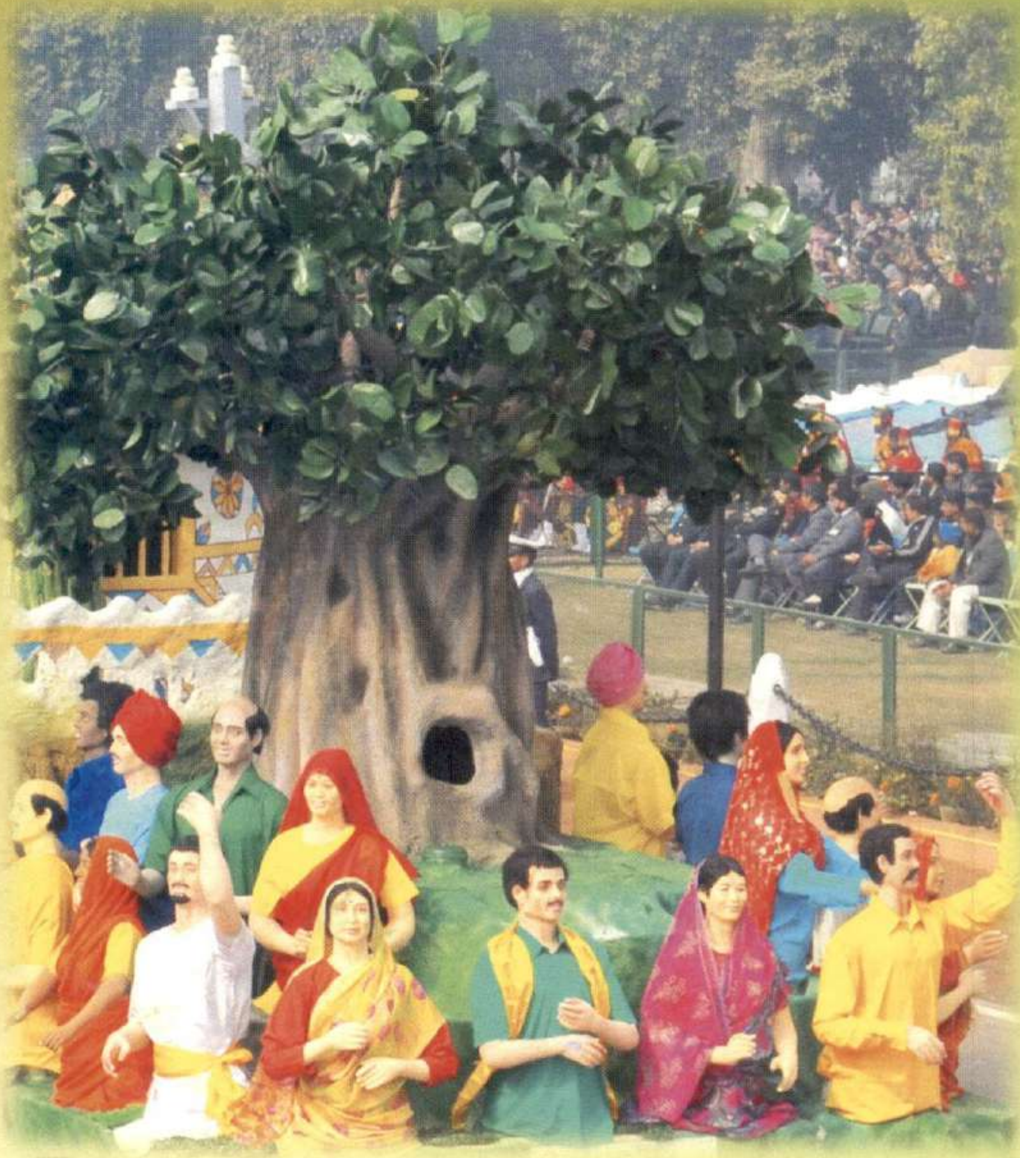

प्रकाशक और मुद्रक : ईरा जोशी अपर महानिदेशक (प्रमुख), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली–110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना